# The Bihar Specialized Universities Act, 2026

Act No. 26 of 2026

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

# बिहार गजट
## असाधारण अंक
## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

**14 श्रावण 1948 (श0)**

**(सं0 पटना 932) पटना, बुधवार, 5 अगस्त 2026**

विधि विभाग

---

अधिसूचना

5 अगस्त 2026

सं० एल०जी०–01–33/2026–6325/लेज।——बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 3 अगस्त 2026 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बलराम दूबे,
सरकार के सचिव ।

[बिहार अधिनियम 26, 2026]

## बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय अधिनियम 2026

बिहार राज्य में विभिन्न विषयगत तथा ज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं निगमन करने तथा उनसे संबंधित अथवा उनके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम।

**प्रस्तावना**

चूँकि, शिक्षा, अनुसंधान एवं नवाचार का संवर्धन बिहार राज्य के सामाजिक–आर्थिक रूपांतरण तथा राष्ट्रीय विकास में उसके प्रभावी योगदान को सुदृढ़ करने के लिए अत्यंत आवश्यक है;

और चूँकि, अग्रणी विषयगत क्षेत्रों तथा अन्य उद्भवमान एवं रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों में विषयगत उत्कृष्टता एवं अनुसंधान–केंद्रितता वाले विश्वविद्यालयों की स्थापना करना तथा ऐसे अन्य विशेष प्रयोजनों की पूर्ति करना, जिन्हें राज्य के हित में आवश्यक या समीचीन समझा जाए, आवश्यक है;

और चूँकि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 राज्य में बहुविषयक उच्च शिक्षा संस्थानों, जिनमें बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय भी सम्मिलित हैं, की स्थापना का परिकल्पन करती है, ताकि समालोचनात्मक चिंतन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवाचार एवं शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहन प्राप्त हो;

और चूँकि, राज्य ऐसे संस्थागत ढाँचे के विकास की आवश्यकता को स्वीकार करता है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, अत्याधुनिक अनुसंधान, अंतःविषयक अध्ययन तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग को प्रोत्साहित करे;

अतः, बिहार राज्य में ऐसे एक या अधिक विशिष्ट विश्वविद्यालयों की स्थापना, निगमीकरण, प्रशासन तथा विनियमन के उपबंध करने हेतु विधि का अधिनियमन करना समीचीन है, जो इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन, अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट विषयगत, ज्ञान के क्षेत्र अथवा अन्य विशेष प्रयोजन क्षेत्रों में स्थापित किए जा सकें, तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध किया जा सके:-

**भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य के विधान–मंडल द्वारा निम्नलिखित अधिनियमित किया जाता है, अर्थात् —**

**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।—**

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026" होगा।

(2) इसका विस्तार बिहार राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र में होगा।

(3) यह अधिनियम उस तिथि से प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

**2. परिभाषाएँ ।**—जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में:-,—

(क) **"शैक्षणिक परिषद्"** से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का शैक्षणिक परिषद;

(ख) **"संबद्ध संस्था"** से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय से संबद्ध शिक्षण संस्था;

(ग) **"संबद्धता"** से अभिप्रेत है इस परिनियमों, नियमों एवं इस प्रयोजनार्थ बनायी गयी विनियमावलियों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत की गयी संबद्धता;

(घ) **"अध्ययन मंडल"** से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के किसी विभाग का अध्ययन मंडल;

(ङ) **"कुलाधिपति"** से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलाधिपति;

(च) **"मुख्यमंत्री"** से अभिप्रेत है बिहार राज्य का मुख्यमंत्री;

(छ) **"महाविद्यालय"** से अभिप्रेत है ऐसा महाविद्यालय, जिसमें स्नातक अथवा उससे उच्चतर उपाधि प्रदान करने वाले पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हों ;

(ज) **"पाठ्यक्रम"** से अभिप्रेत है ऐसे पाठ्यक्रम, जिन्हें विश्वविद्यालय तथा, जहाँ लागू हो, संबंधित शीर्ष नियामक निकाय द्वारा अनुमोदित किया गया हो;

(झ) **"शासी परिषद्"** से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की शासी परिषद्;

(ञ) **"विभाग"** से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कोई विभाग, जिसमें अध्ययन केन्द्र भी सम्मिलित होगा;

(ट) **"कर्मचारी"** से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कर्मचारी, जिसमें शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष, पदाधिकारी तथा शिक्षकेत्तर कर्मचारी सम्मिलित होंगे;

(ठ) **"कार्यकारी परिषद्"** से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद्;

(ड) **"संकाय"** से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का अध्ययन संकाय ;

(ढ) **"वित्त समिति"** से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की वित्त समिति;

(ण) **"सरकार"** से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

(त) **"विभागाध्यक्ष"** से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के किसी शिक्षण विभाग का अध्यक्ष;

(थ) **"संस्था"** से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित ऐसी शैक्षणिक संस्था, जो महाविद्यालय न हो;

(द) **"कदाचार"** से अभिप्रेत है परिनियमों द्वारा विहित कोई कदाचार;

(ध) **"अधिसूचना"** से अभिप्रेत है राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना;

(न) **"अध्यादेश"** से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के ऐसे अध्यादेश, जो तत्समय प्रवृत्त हों;

(प) **"प्राचार्य"** से अभिप्रेत है किसी महाविद्यालय अथवा संस्थान का प्रधान तथा इसके अंतर्गत, जहाँ कोई नियमित प्राचार्य न हो, वह व्यक्ति भी सम्मिलित होगा जिसे तत्समय प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिए विधिवत् नियुक्त किया गया हो;

(फ) **"कुलसचिव"** से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलसचिव;

(ब) **"विनियम"** से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा बनाए गए तथा तत्समय प्रवृत्त विनियम;

(भ) **"राज्य"** से अभिप्रेत है बिहार राज्य ;

(म) **"परिनियम"** से अभिप्रेत हैं विश्वविद्यालय के ऐसे परिनियम, जो तत्समय प्रवृत्त हों;

(य) **"विश्वविद्यालय"** से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन स्थापित एवं निगमित विश्वविद्यालय ;

(र) **"विश्वविद्यालय निधि"** से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय की निधि;

(ल) **"विश्वविद्यालय अनुदान आयोग"** से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 3) की धारा 4 के अधीन स्थापित आयोग;

(व) **"विश्वविद्यालय पुनर्विलोकन आयोग"** से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन गठित विश्वविद्यालय पुनर्विलोकन आयोग;

(श) **"कुलपति"** से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलपति।

इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किए गए शब्दों एवं पदों के वही अर्थ होंगे, जो उन्हें इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य सुसंगत विधियों में प्रदान किए गए हैं।

**3. विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निगमितकरण ।—**

(1) राज्य सरकार, समय–समय पर, राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर, इस अधिनियम के अधीन एक या अधिक विशिष्ट एवं बहुविषयक विश्वविद्यालयों की स्थापना ऐसे नाम से, ऐसे विषयगत अथवा शैक्षणिक क्षेत्र–केंद्रित स्वरूप में, अथवा ऐसे अन्य विशेष प्रयोजन अथवा प्रयोजनों के लिए कर सकेगी, जैसा वह उपयुक्त समझे। ऐसे विश्वविद्यालयों का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, उनके संघटक अथवा संबद्ध महाविद्यालय एवं संस्थान, तथा उनकी स्थापना की प्रभावी तिथि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएगी।

प्रत्येक ऐसा विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा तथा राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन पर उसे इस अधिनियम की अनुसूची में सम्मिलित माना जाएगा। राज्य सरकार उसी अथवा किसी उत्तरवर्ती अधिसूचना द्वारा अनुसूची में संशोधन (परिवर्तन, विस्तार, संकुचन अथवा प्रादेशिक अधिकारिता का पुनर्परिभाषित), विशेषीकरण, विशेष प्रयोजन, मुख्यालय, संघटक अथवा संबद्ध महाविद्यालयों या संस्थानों अथवा ऐसे विश्वविद्यालय से संबंधित किसी अन्य विवरण में संशोधन कर सकेगी।

(2) इस अधिनियम के प्रवर्तन के पश्चात स्थापित तथा अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, प्रथम कुलपति, शासी परिषद, कार्यकारी परिषद तथा शैक्षणिक परिषद के प्रथम सदस्य, और वे सभी व्यक्ति जो समय–समय पर उक्त पदों अथवा सदस्यताओं को धारण करेंगे, जब तक वे अपने–अपने पद अथवा सदस्यता पर बने रहेंगे, एतद्द्वारा अनुसूची में विनिर्दिष्ट संबंधित विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय के रूप में गठित माने जाएंगे।

(3) विश्वविद्यालय को शाश्वत उत्तराधिकार प्राप्त होगा तथा उसकी एक सामान्य मुहर होगी, और वह अपने उक्त नाम से वाद दायर कर सकेगा तथा उसके विरुद्ध भी वाद दायर किया जा सकेगा।

**4. विश्वविद्यालय के उद्देश्य ।—**

(क) इस अधिनियम के अधीन स्थापित प्रत्येक विश्वविद्यालय का उद्देश्य ज्ञान का संवर्धन, सृजन एवं प्रसार करना, तथा अपने विशेषज्ञता के क्षेत्रों एवं उनसे संबद्ध विषयों में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना और समाज की उन्नति, सतत विकास तथा मानवता के कल्याण के लिए ज्ञान के सृजन, संरक्षण, अनुप्रयोग एवं प्रसार हेतु एक सक्षम शैक्षणिक एवं अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र का सृजन करना होगा।

(ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप बहुविषयक एवं अंतर्विषयक शैक्षणिक पारितंत्र को प्रोत्साहित करना।

(ग) शैक्षणिक बैंक ऑफ क्रेडिट (Academic Bank of Credits), राष्ट्रीय क्रेडिट रूपरेखा (National Credit Framework), बहु–प्रवेश एवं बहु–निर्गमन प्रणाली (Multiple Entry and Multiple Exit), क्रेडिट अंतरण (Credit Transfer), अंतर्विषयक एवं बहुविषयक शैक्षणिक कार्यक्रमों तथा समय–समय पर यथाविहित अन्य शैक्षणिक सुधारों को अपनाना एवं कार्यान्वित करना।

(घ) ज्ञान के अग्रणी तथा सामरिक महत्व के क्षेत्रों में उच्च कोटि के अनुसंधान, नवाचार एवं वैज्ञानिक अन्वेषण को बढ़ावा देना।

(ङ) समाज की उन्नति तथा सतत विकास के लिए मानव संसाधनों का विकास करना।

(च) शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान संगठनों, उद्योगों तथा अन्य हितधारकों के साथ सहयोग एवं सहभागिता के माध्यम से नवाचार, उद्यमिता तथा ज्ञान–हस्तांतरण को प्रोत्साहित करना।

(छ) बिहार राज्य के बौद्धिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकास में योगदान देना तथा उसकी समृद्ध शैक्षणिक, ऐतिहासिक एवं सभ्यतागत विरासत का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रसार करना।

(ज) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किए जाने वाले अन्य विशेष शैक्षिक, अनुसंधानात्मक, विकासात्मक अथवा अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करना।

(झ) अनुसंधान, नीति–निर्माण संबंधी सहभागिता तथा विस्तार एवं जनसंपर्क गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक एवं विकासात्मक चुनौतियों के समाधान में योगदान देना।

(ञ) उच्च शिक्षा, अनुसंधान एवं नवाचार के अवसरों में समावेशन, समानता, सामाजिक न्याय एवं सुलभता को प्रोत्साहित करना।

(ट) भारत के संविधान में निहित आदर्शों एवं मूल्यों का पालन करना तथा यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की समस्त गतिविधियाँ राष्ट्र की प्रभुता, एकता, अखंडता के अनुरूप संचालित हों।

**5. विश्वविद्यालय की शक्तियाँ एवं कार्य ।—**

(1) विश्वविद्यालय की शक्तियाँ एवं कार्य निम्नलिखित होंगे:—

(i) ज्ञान की ऐसी शाखाओं तथा अन्य संबद्ध, अंतर्विषयी एवं उद्भवमान क्षेत्रों में, तथा ऐसे अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए, जैसा कि विश्वविद्यालय अथवा, यथास्थिति, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, उच्च गुणवत्ता की एवं उन्नत शिक्षा प्रदान करना तथा अत्याधुनिक अनुसंधान, नवाचार तथा ज्ञान के संवर्धन, संरक्षण एवं प्रसार के लिए एक सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र का सृजन एवं संधारण करना, जिससे राष्ट्रीय एवं वैश्विक चुनौतियों का समाधान किया जा सके तथा बिहार राज्य एवं राष्ट्र की बौद्धिक एवं विकासात्मक आकांक्षाओं को आगे बढ़ाया जा सके।

(ii) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन, परीक्षा, मूल्यांकन अथवा परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर व्यक्तियों को उपाधिपत्र अथवा प्रमाणपत्र प्रदान करना तथा उपाधियाँ अथवा अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएँ प्रदान करना, तथा यथेष्ट एवं उचित कारणों से ऐसी उपाधियों, उपाधिपत्रों, प्रमाणपत्रों अथवा अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं को वापस लेना।

(iii) बाह्य अध्ययन, प्रशिक्षण तथा विस्तार सेवाओं का आयोजन एवं संचालन करना।

(iv) परिनियमों में विहित रीति से मानद उपाधियाँ (Honorary Degrees) अथवा अन्य विशिष्ट श्रेणी प्रदान करना।

(v) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा किसी अन्य सांविधिक अथवा विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप समितियों, प्रकोष्ठों तथा प्रक्रियाओं की स्थापना अथवा गठन करना।

(vi) ऑनलाइन अथवा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से निर्धारित व्यक्तियों को शैक्षणिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना।

(vii) विश्वविद्यालय की आवश्यकतानुसार प्राचार्य, प्राध्यापक, सह– प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक तथा अन्य अध्यापन अथवा शैक्षणिक पदों का सृजन करना तथा उन पदों पर नियुक्तियाँ करना।

(viii) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से तथा इस संबंध में बनाए गए उपबंधों एवं अन्य प्रचलित विधियों के अधीन रहते हुए, बिहार राज्य के भीतर उप–परिसर (Off-Campus), अनुसंधान पार्क, नवाचार केंद्र, उद्भवन केंद्र, उन्नत वैज्ञानिक प्रयोगशालाएँ अथवा विशिष्ट अनुसंधान केंद्र स्थापित करना।

(ix) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रयोजनों के लिए किसी उच्च शिक्षण संस्थान को मान्यता प्रदान करना तथा ऐसी मान्यता को वापस लेना।

(x) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित रीति एवं प्रयोजनों के लिए देश अथवा विदेश में स्थित किसी विश्वविद्यालय, प्राधिकरण अथवा उच्च शिक्षण संस्थान के साथ सहयोग, सहभागिता अथवा संबद्धता स्थापित करना।

(xi) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक समझे जाने पर अनुसंधान एवं अध्यापन के लिए केंद्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं अथवा अन्य इकाइयों की स्थापना करना।

(xii) ज्ञान के प्रसार हेतु शोध पत्रिकाओं, पुस्तकों, मोनोग्राफों, अनुसंधान पत्रों, तकनीकी प्रतिवेदनों, पेटेंटों, वैज्ञानिक डाटाबेसों तथा अन्य आवश्यक प्रकाशन योग्य का प्रकाशन करना।

(xiii) अध्येतावृत्तियों (Fellowships), छात्रवृत्तियों (Scholarships), छात्रवृत्तिपदों (Studentships), पदकों तथा पुरस्कारों की स्थापना करना एवं उन्हें प्रदान करना।

(xiv) संस्थानों , सभागारों एवं छात्रावासों की स्थापना करना तथा उनका अनुरक्षण एवं प्रबंधन करना।

(xv) अनुसंधान तथा परामर्श सेवाओं की व्यवस्था करना तथा इस प्रयोजन के लिए अन्य संस्थानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों अथवा संगठनों के साथ आवश्यक समझौतों अथवा व्यवस्थाओं में प्रवेश करना।

(xvi) शिक्षकों, मूल्यांकनकर्ताओं तथा अन्य शैक्षणिक कर्मियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों तथा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन करना।

(xvii) परिनियमों के उपबंधों के अनुसार संविदा अथवा अन्य आधार पर आगंतुक प्राध्यापक (Visiting Professor), प्रोफेसर एमेरिटस, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, सलाहकार तथा विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में योगदान देने वाले अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति करना।

(xviii) विश्वविद्यालय में प्रवेश के मानकों का निर्धारण करना, जिसमें परीक्षा, मूल्यांकन अथवा परीक्षण की अन्य पद्धतियाँ सम्मिलित हो सकती हैं।

(xix) सेमेस्टर प्रणाली, सतत मूल्यांकन प्रणाली तथा विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली लागू करना तथा क्रेडिट अंतरण एवं संयुक्त उपाधि कार्यक्रमों के लिए अन्य विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों के साथ समझौते करना।

(xx) अभिनव पाठ्यक्रमों एवं अध्ययन कार्यक्रमों को प्रारंभ करना तथा उनके समय–समय पर पुनरीक्षण एवं पुनर्गठन की व्यवस्था करना।

(xxi) शिक्षकों के मूल्यांकन सहित विश्वविद्यालय की समस्त शैक्षणिक गतिविधियों में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।

(xxii) राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् अथवा राष्ट्रीय स्तर की किसी अन्य प्रत्यायन संस्था से प्रत्यायन प्राप्त करना।

(xxiii) केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उद्योगों, परोपकारी संगठनों, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषित अभिकरणों तथा अन्य विधिसम्मत स्रोतों से अनुदान, न्यास निधियाँ, दान, उपहार, परोपकार–अनुदान, वसीयतनिधियाँ, अभिदान, अनुसंधान वित्तपोषण तथा वित्तीय सहायता प्राप्त करना।

(xxiv) कागजरहित प्रशासन, डिजिटल मूल्यांकन, ऑनलाइन शैक्षणिक सेवाओं, ई–कार्यालय प्रणालियों, अधिगम प्रबंधन मंचों, डिजिटल पुस्तकालयों तथा अनुसंधान डेटा भंडारों के विकास के माध्यम से दक्ष डिजिटल प्रशासन सुनिश्चित करना।

(xxv) प्रभावी प्रबंधन सूचना प्रणाली (Management Information System) सहित ई–गवर्नेंस व्यवस्था लागू करना।

(2) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय किसी संस्थान को अंगीकृत करने, किसी पद का सृजन करने, किसी नए विभाग अथवा पीठ (Chair) की स्थापना करने, अथवा ऐसे किसी नए शैक्षणिक कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व, जिसके लिए अतिरिक्त शिक्षकों, गैर–शिक्षकीय कर्मियों अथवा स्थायी आधारभूत संरचना की आवश्यकता हो, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा ।

**6. विश्वविद्यालय सभी के लिए खुला होगा और लिंग, नस्ल, पंथ, वर्ग, जाति, जन्म–स्थान, धर्म या विचार के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा ।—**

(1) भारत का कोई भी नागरिक केवल लिंग, नस्ल, पंथ, वर्ग, जाति, जन्म–स्थान, धार्मिक आस्था अथवा पंथ, राजनीतिक विचार या अन्य किसी मत के आधार पर विश्वविद्यालय के किसी पद को धारण करने से, उसकी किसी प्राधिकरण, निकाय या समिति की सदस्यता प्राप्त करने से, किसी पद पर नियुक्ति से, अथवा किसी उपाधि, उपाधिपत्र, प्रमाण–पत्र, अन्य शैक्षणिक विशिष्टता, कार्यक्रम या अध्ययन–पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय केवल महिलाओं के लिए स्थापित, आरक्षित या संचालित किसी महाविद्यालय अथवा संस्थान का अनुरक्षण कर सकेगा अथवा उसे प्रत्यायित या मान्यता प्रदान कर सकेगा।

(2) विश्वविद्यालय, समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी सरकार की नीतियों, आदेशों एवं निर्देशों के अनुसार, शिक्षकों तथा गैर–शिक्षकीय कर्मचारियों के विभिन्न पदों पर नियुक्तियों तथा महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय विभागों, विश्वविद्यालय संस्थानों एवं मान्यता प्राप्त संस्थानों में विद्यार्थियों के प्रवेश के संबंध में विभिन्न वर्गों हेतु आरक्षण की व्यवस्था को अपनाएगा एवं कार्यान्वित करेगा।

(3) विश्वविद्यालय समाज के दुर्बल वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों तथा विविध लैंगिक पहचान एवं लैंगिक अभिविन्यास वाले व्यक्तियों के कल्याण, समावेशन, संरक्षण एवं उन्नयन से संबंधित राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नीतियों एवं निदेशों को अपनाएगा तथा उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा।

**7. कुलाधिपति ।—**

(1) बिहार के मुख्यमंत्री अपने पद के फलस्वरूप अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे।

(2) कुलाधिपति, जब विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपस्थित हों, उसकी अध्यक्षता करेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर किसी विशिष्ट प्रयोजन हेतु विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की बैठक आहूत करने के लिए कुलपति को निर्देश दे सकेंगे, और कुलपति ऐसी बैठक की कार्यवाही कुलाधिपति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे।

(3) **कुलाधिपति** ।—

(क) धारा 29 की उपधारा (6) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार द्वारा संदर्भ प्राप्त होने पर अथवा

(ख) किसी विषय में स्वप्रेरणा से (Suo Motu) या अन्यथा,

उस विषय अथवा विश्वविद्यालय के किसी विषय या कार्यकलाप से संबंधित प्रतिवेदन, स्पष्टीकरण, सूचना अथवा अभिलेख तलब कर सकेंगे, और ऐसे प्रतिवेदन, स्पष्टीकरण, सूचना अथवा अभिलेखों पर विचार करने के पश्चात् विश्वविद्यालय, विद्यार्थियों अथवा व्यापक लोकहित में उपयुक्त समझे जाने वाले निर्देश जारी कर सकेंगे तथा ऐसे निर्देश अंतिम होंगे और विश्वविद्यालय द्वारा उनका तत्काल अनुपालन किया जाएगा।

(4) कुलाधिपति, कुलपति से लिखित प्रतिवेदन प्राप्त करने के उपरांत, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण, निकाय, समिति अथवा पदाधिकारी के ऐसे संकल्प, आदेश या कार्यवाही को, जो उनके मत में इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के अनुरूप न हो अथवा विश्वविद्यालय के हित में न हो, निरस्त, स्थगित अथवा संशोधित कर सकेंगे, और संबंधित विश्वविद्यालय, प्राधिकरण, निकाय, समिति अथवा पदाधिकारी उसका अनुपालन करेगा।

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश पारित करने से पूर्व कुलाधिपति संबंधित विश्वविद्यालय, प्राधिकारी, निकाय, समिति अथवा पदाधिकारी को कारण बताने का अवसर देंगे कि ऐसा आदेश क्यों न पारित किया जाए और यदि कुलाधिपति द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर कोई कारण प्रस्तुत किया जाता है, तो कुलाधिपति उस पर विचार करेंगे तथा जहाँ आवश्यक समझेंगे, राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात् विषय में की जाने वाली कार्रवाई का निर्णय करेंगे, और उनका निर्णय अंतिम होगा।

(5) यदि कुलाधिपति की राय में किसी निर्वाचित, नामनिर्देशित, नियुक्त अथवा सहयोजित सदस्य का आचरण विश्वविद्यालय अथवा उसके किसी प्राधिकरण, निकाय या समिति के सुचारु संचालन के प्रतिकूल हो, तो वे ऐसे सदस्य को लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने तथा उस स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात, और यह संतुष्टि होने पर कि ऐसा करना आवश्यक है, उसे अयोग्य घोषित कर सकेंगे अथवा उपयुक्त समझी जाने वाली अवधि के लिए निलंबित कर सकेंगे, अथवा परिनियमों के अनुसार उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्देश दे सकेंगे।

(6) जहाँ इस अधिनियम अथवा परिनियमों द्वारा कुलाधिपति को विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों अथवा निकायों में व्यक्तियों को नामनिर्देशित करने की शक्ति प्रदान की गई है, वहाँ वे ऐसी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तथा आवश्यक सीमा तक, ऐसे हितों के प्रतिनिधित्व हेतु व्यक्तियों को नामनिर्देशित कर सकेंगे जिनका अन्यथा प्रतिनिधित्व न हो रहा हो।

(7) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों अथवा पदाधिकारियों के मध्य किसी ऐसे विषय पर मतभेद उत्पन्न होने की स्थिति में, जिसका अन्यथा समाधान संभव न हो, कुलाधिपति का निर्णय अंतिम होगा।

(8) कुलाधिपति को विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के प्रशासनिक अथवा शैक्षणिक हित में ऐसे निर्देश जारी करने की शक्ति होगी, जिन्हें वे आवश्यक समझें। कुलाधिपति द्वारा जारी निर्देशों का, यथास्थिति, कुलपति, प्राचार्य, गवर्निंग काउंसिल, कार्यकारिणी परिषद् तथा विश्वविद्यालय के अन्य निकायों द्वारा अनुपालन किया जाएगा।

(9) कुलाधिपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, जो इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों द्वारा उन्हें प्रदत्त या निहित किए गए हों अथवा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएँ।

**8. विश्वविद्यालय के पदाधिकारी ।—**

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे, अर्थात् :—

(1) कुलपति;

(2) संकायों के संकायाध्यक्ष;

(3) कुलसचिव;

(4) वित्त पदाधिकारी;

(5) छात्र कल्याण अधिष्ठाता;

(6) अनुसंधान एवं विकास अधिष्ठाता;

(7) परीक्षा नियंत्रक;

(8) पुस्तकालयाध्यक्ष;

(9) ऐसे अन्य पदाधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का पदाधिकारी घोषित किया जाए।

**9. कुलपति ।—**

(1) कुलपति एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद्, प्रतिष्ठित वैज्ञानिक अथवा राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिक्षा–विशेषज्ञ होगा, जिसके पास उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं प्रशासनिक नेतृत्व क्षमता, शिक्षण, अनुसंधान एवं नवाचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान तथा विश्वविद्यालय के विशिष्टियों के प्रासंगिक क्षेत्रों अथवा संबद्ध एवं अंतर्विषयक क्षेत्रों में पर्याप्त अनुभव होगा।

(2) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा उपधारा (3) के अधीन गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा अनुशंसित कम–से–कम तीन व्यक्तियों के पैनल में से की जाएगी, जिसमें नाम वर्णक्रमानुसार व्यवस्थित होंगे:

**परन्तु यह कि** यदि कुलाधिपति अनुशंसित व्यक्तियों में से किसी को भी अनुमोदित न करें, तो वे नवीन अनुशंसाएँ प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा कर सकेंगे।

(3) उपधारा (2) में उल्लिखित स्क्रीनिंग समिति में निम्नलिखित चार सदस्य होंगे, अर्थात् :— एक सदस्य, जिसे कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;एक सदस्य, जिसे राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा; एक सदस्य, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्समय प्रवृत्त विनियमों तथा उनमें समय–समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार नामनिर्देशित किया जाएगा; एक सदस्य, जिसे कार्यकारिणी परिषद् द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा। परन्तु यह कि राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित सदस्य समिति का संयोजक होगा।

परन्तु यह भी कि समिति में नामनिर्देशित व्यक्ति किसी भी प्रकार से संबंधित विश्वविद्यालय, उससे संबद्ध किसी महाविद्यालय अथवा उसके किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबद्ध नहीं होंगे।

(4) प्रथम कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

(5) कुलपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा :

**परन्तु यह कि** यदि कुलाधिपति कुलपति के प्रथम कार्यकाल के दौरान उसके कार्य–निष्पादन से संतुष्ट हों, तो वे कुलपति को अपने पद पर ऐसी अतिरिक्त अवधि तक बने रहने के लिए कह सकेंगे, जो कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए किन्तु ऐसी अतिरिक्त अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**परन्तु यह भी** कि कुलपति के रूप में पद पर बने रहने की अधिकतम आयु पचहत्तर वर्ष होगी।

(6) कुलपति के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें परिनियमों द्वारा विहित की जाएँगी।

(7) यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा अन्य किसी कारण से कुलपति का पद रिक्त हो जाए, अथवा अस्वस्थता या किसी अन्य कारणवश कुलपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तो कुलाधिपति किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को कुलपति के कृत्यों का निर्वहन करने हेतु नामित कर सकेंगे, और ऐसा व्यक्ति तब तक कुलपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा, जब तक नव–नियुक्त कुलपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता अथवा विद्यमान कुलपति पुनः अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम नहीं हो जाता, यथास्थिति ।

**10. कुलपति की शक्तियाँ, कर्तव्य एवं कार्य ।—**

(1) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक एवं शैक्षणिक पदाधिकारी होगा तथा विश्वविद्यालय के समस्त कार्यकलापों पर सामान्य अधीक्षण एवं नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों द्वारा लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करेगा।

(2) यदि कुलपति की राय में किसी विषय पर तत्काल अथवा महत्त्वपूर्ण कार्रवाई किया जाना आवश्यक हो, तो वह इस अधिनियम या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति का, जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण में निहित हो, प्रयोग कर सकेगा तथा उसके द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना, उसके कारणों सहित, संबंधित प्राधिकरण की गई कार्रवाई से अगली बैठक में अवगत किया जाएगा:

परन्तु यह कि ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल आपात परिस्थितियों में ही किया जाएगा और किसी भी स्थिति में पदों के सृजन, पदोन्नयन अथवा उन पर नियुक्ति के संबंध में नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह भी कि यदि गवर्निंग काउंसिल की राय में ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह इस विषय को कुलाधिपति के समक्ष संदर्भित कर सकेगी, और उस पर कुलाधिपति का निर्णय अंतिम होगा।

परन्तु यह भी कि विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत कोई व्यक्ति, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई से व्यथित हो, ऐसे निर्णय की सूचना प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के भीतर गवर्निंग काउंसिल के समक्ष अपील कर सकेगा, और गवर्निंग काउंसिल ऐसी कार्रवाई की पुष्टि, संशोधन अथवा निरस्तीकरण कर सकेगी।

(3) यदि कुलपति की राय में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण द्वारा लिया गया कोई निर्णय इस अधिनियम, परिनियमों अथवा विनियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के परे है, अथवा विश्वविद्यालय के हित में नहीं है, तो वह संबंधित प्राधिकरण से ऐसे निर्णय पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा। यदि संबंधित प्राधिकरण, निर्णय की तिथि से तीस दिनों के भीतर, अपने निर्णय का पूर्णतः या आंशिक रूप से पुनर्विलोकन करने से इंकार करता है अथवा उक्त अवधि में कोई निर्णय नहीं लेता है, तो विषय कुलाधिपति को संदर्भित किया जाएगा और उस पर कुलाधिपति का निर्णय अंतिम होगा।

(4) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो परिनियमों अथवा विनियमों द्वारा विहित किए जाएँ।

(5) कुलपति विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद्, वित्त समिति तथा शैक्षणिक परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा।

(6) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में कुलपति विश्वविद्यालय के किसी दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा तथा गवर्निंग काउंसिल की बैठकों की अध्यक्षता भी करेगा।

**11. कुलपति को पद से हटाया जाना ।—**

(1) यदि किसी समय, ऐसी जाँच के उपरांत जिसे कुलाधिपति आवश्यक समझें, कुलाधिपति की यह राय हो जाए कि कुलपति—

(i) इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा परिनियमों द्वारा उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य के पालन में विफल रहा है; अथवा

(ii) उसने विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल कार्य किया है; अथवा

(iii) वह विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के संचालन में अक्षम सिद्ध हुआ है; तो कुलाधिपति, इस तथ्य के होते हुए भी कि कुलपति का कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है, कारणों का उल्लेख करते हुए लिखित आदेश द्वारा कुलपति को आदेश में विनिर्दिष्ट तिथि से अपना पद त्यागने की अपेक्षा कर सकेंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक कि कुलपति को उन विशिष्ट आधारों का उल्लेख करते हुए सूचना न दे दी गई हो, जिनके आधार पर ऐसी कार्रवाई प्रस्तावित है, तथा उसे प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर न प्रदान कर दिया गया हो।

(3) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट तिथि से यह समझा जाएगा कि कुलपति ने अपना पद त्याग दिया है, और उस तिथि से कुलपति का पद रिक्त माना जाएगा।

**12. संकायाध्यक्ष ।—प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएँ**

**13. कुलसचिव।—**

(1) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से तथा ऐसी सेवा–शर्तों एवं अन्य शर्तों पर की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएँ:

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय के प्रथम कुलसचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी, और वह तीन वर्ष की अवधि तक अथवा परिनियमों या नियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार कुलसचिव की नियुक्ति होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपने पद पर बना रहेगा।

(2) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से करार एवं समझौते, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने तथा अभिलेखों का प्रमाणीकरण करने की शक्ति होगी, और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएँ।

**14. वित्त पदाधिकारी ।—**वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से तथा ऐसी सेवा–शर्तों एवं अन्य शर्तों पर की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएँ, और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जाएँ:

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय के प्रथम वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी, और वह तीन वर्ष की अवधि तक अथवा नियमों या परिनियमों के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपने पद पर बना रहेगा।

**15. छात्र कल्याण अधिष्ठाता ।**–छात्र कल्याण अधिष्ठाता की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो विनियमों अथवा नियमों द्वारा विहित किए जाएँ।

**16. परीक्षा नियंत्रक ।—**

परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति ऐसी रीति से तथा ऐसी सेवा–शर्तों एवं अन्य शर्तों पर की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएँ, और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जाएँ।

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय के प्रथम परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी, और वह तीन वर्ष की अवधि तक अथवा परिनियमों में विहित रीति से परीक्षा नियंत्रक की नियमित नियुक्ति होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपने पद पर बना रहेगा।

**17. अनुसंधान एवं विकास अधिष्ठाता ।–**

(1) अनुसंधान एवं विकास अधिष्ठाता की नियुक्ति कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों अथवा सह– प्राध्यापकों में से परिनियमों द्वारा विहित रीति से तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी।

(2) अनुसंधान एवं विकास अधिष्ठाता संकाय सदस्यों एवं विद्यार्थियों के मध्य अनुसंधान, नवाचार, उद्भवन (Incubation), नवउद्यमिता तथा विकासात्मक गतिविधियों के संबंध में जागरूकता एवं प्रोत्साहन का वातावरण विकसित करेगा। वह अन्य संकायों के साथ समन्वय स्थापित कर पी.एच. डी. कार्यक्रमों तथा शोध प्रकाशनों में उच्च शैक्षणिक मानकों को सुनिश्चित करेगा। इस प्रयोजन के लिए वह अनुसंधान पद्धतियों से संबंधित कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों का आयोजन करेगा, अंतर्विषयक सहयोग को प्रोत्साहित करेगा, अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देगा तथा शैक्षणिक उत्कृष्टता हेतु गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करेगा।

(3) अनुसंधान एवं विकास अधिष्ठाता शोधकर्ताओं तथा संबंधित वित्तपोषण अभिकरणों (Funding Agencies) के मध्य संपर्क–सूत्र के रूप में कार्य करेगा।

(4) अनुसंधान एवं विकास अधिष्ठाता राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के साथ विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, अनुसंधान एवं नवाचार संबंधों की स्थापना, अनुरक्षण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु आवश्यक कदम उठाएगा।

(5) अनुसंधान एवं विकास अधिष्ठाता के कर्तव्य, शक्तियाँ एवं कार्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएँगे।

**18. अन्य पदाधिकारी ।—**विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की रीति तथा उनकी शक्तियाँ, कर्तव्य एवं कार्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएँगे। विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की रीति तथा उनकी शक्तियाँ, कर्तव्य एवं कार्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएँगे।

**19. विश्वविद्यालय के प्राधिकार ।–**

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकार होंगे, अर्थात् :—

(1) गवर्निंग काउंसिल;

(2) कार्यकारी परिषद्;
(3) शैक्षणिक परिषद्;
(4) अनुसंधान परिषद्;
(5) अध्ययन बोर्ड;
(6) संबद्धता बोर्ड;
(7) योजना बोर्ड;
(8) वित्त समिति तथा
(9) ऐसे अन्य प्राधिकार, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकार घोषित किया जाए।

**20. गवर्निंग काउंसिल ।—**

(1) गवर्निंग काउंसिल विश्वविद्यालय की सर्वोच्च निकाय होगी।

(2) विश्वविद्यालय की एक गवर्निंग काउंसिल होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) कुलाधिपति — अध्यक्ष**;**
(ख) मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग
(ग) कुलपति;
(घ) मुख्य सचिव, बिहार सरकार;
(ङ) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों में से एक कुलपति;
(च) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग;
(छ) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग;
(ज) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार;
(झ) निदेशक, उच्च शिक्षा/ विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग;
(ञ) उच्च शिक्षा, अनुसंधान अथवा प्रबंधन के अग्रणी राष्ट्रीय संस्थानों, जैसे राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान अथवा विश्वविद्यालय के विशिष्टियों से संबंधित बिहार के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के दो निदेशक, जिन्हें कुलाधिपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा;
(ट) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक प्रतिनिधि, जिसे आयोग के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाएगा;
(ठ) राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तीन प्रतिष्ठित शिक्षाविद्, वैज्ञानिक अथवा विषय–विशेषज्ञ, जिन्होंने विश्वविद्यालय के विशिष्टियों के प्रासंगिक क्षेत्रों अथवा संबद्ध एवं अंतर्विषयक क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान दिया हो, जिन्हें कुलाधिपति द्वारा मनोनीत किया जाएगाय जिनमें से कम–से–कम एक सदस्य बिहार राज्य के बाहर का होगा;
(ड) विश्वविद्यालय के विशिष्टियों से संबंधित उद्योग, नवाचार, लोक नीति अथवा व्यावसायिक क्षेत्र से एक प्रतिष्ठित उद्योगपति, प्रौद्योगिकीविद् अथवा विषय–विशेषज्ञ, जिसे कुलाधिपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा;
(ढ) अनुसंधान एवं विकास अधिष्ठाता;
(ण) विश्वविद्यालय के दो संकायाध्यक्ष, जिन्हें कुलपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा और जो अपने मनोनयन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक चक्रानुक्रम के आधार पर सदस्य रहेंगे;
(त) विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों में से वरीयता एवं चक्रानुक्रम के आधार पर कुलपति द्वारा मनोनीत, प्राध्यापक के पद से नीचे का न होने वाला एक शिक्षक प्रतिनिधि;
(थ) विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी महाविद्यालय का एक प्राचार्य (जहाँ विश्वविद्यालय से महाविद्यालय संबद्ध हों);
(द) छात्र कल्याण अधिष्ठाता;
(ध) वित्त पदाधिकारी;
(न) कुलसचिव।

(3) कुलसचिव गवर्निंग काउंसिल का पदेन सदस्य–सचिव होगा।

(4) यदि कोई व्यक्ति किसी पद अथवा नियुक्ति के कारण गवर्निंग काउंसिल का सदस्य है, तो उस पद अथवा नियुक्ति का परित्याग करने अथवा उससे पृथक हो जाने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

(5) पदेन सदस्यों के अतिरिक्त गवर्निंग काउंसिल के मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

(6) गवर्निंग काउंसिल का कोई सदस्य अपनी सदस्यता से वंचित हो जाएगा, यदि वह त्यागपत्र दे देता है; या विकृतचित्त पाया जाता है; या दिवालिया घोषित किया जाता है; या नैतिक अधमता से संबंधित किसी आपराधिक अपराध में दोषसिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त कुलपति एवं कुलसचिव के सिवाय कोई सदस्य विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर लेता है अथवा पदेन सदस्य न होते हुए कुलाधिपति की अनुमति के बिना गवर्निंग काउंसिल की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

(7) गवर्निंग काउंसिल का कोई मनोनीत सदस्य, जो पदेन सदस्य न हो, कुलाधिपति को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और उसका त्यागपत्र कुलाधिपति द्वारा स्वीकार किए जाने की तिथि से प्रभावी होगा।

(8) गवर्निंग काउंसिल में उत्पन्न किसी रिक्ति को संबंधित मनोनयन प्राधिकारी द्वारा शेष कार्यकाल के लिए भरा जाएगा और मूल सदस्य के कार्यकाल की समाप्ति पर ऐसा मनोनयन स्वतः समाप्त हो जाएगा।

**21. गवर्निंग काउंसिल की शक्तियाँ, कार्य एवं बैठकें ।–**

(1) गवर्निंग काउंसिल विश्वविद्यालय की सर्वोच्च निकाय होगी और समय–समय पर विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्धारण तथा पुनर्विलोकन करेगी, विश्वविद्यालय के सुधार एवं विकास हेतु उपाय निर्धारित करेगी तथा निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात् :—

(क) कार्यकारी परिषद् द्वारा तैयार किए गए वार्षिक प्रतिवेदन, वित्तीय विवरण तथा वार्षिक बजट प्राक्कलनों पर विचार करना और उन्हें, यथास्थिति, संशोधनों सहित अथवा बिना संशोधन के अनुमोदित करना;

(ख) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों एवं प्रशासन से संबंधित परिनियमों का निर्माण करना, जिसमें विश्वविद्यालय के प्राधिकारों तथा पदाधिकारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का उपबंध करना भी शामिल होगा।

(2) (क) गवर्निंग काउंसिल की बैठक वर्ष में कम–से–कम एक बार होगी तथा गवर्निंग काउंसिल की वार्षिक बैठक कुलाधिपति द्वारा निर्धारित तिथि को आयोजित की जाएगी।

(ख) कुलपति, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का प्रतिवेदन, प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण, संपरीक्षित बैलेंस शीट तथा वित्तीय प्राक्कलन, गवर्निंग काउंसिल की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत करेगा।

(ग) गवर्निंग काउंसिल की बैठक कुलाधिपति द्वारा, स्वप्रेरणा से अथवा गवर्निंग काउंसिल के कम–से–कम पचास प्रतिशत सदस्यों के अधियाचना पर आहूत की जाएगी।

(घ) गवर्निंग काउंसिल की प्रत्येक बैठक के लिए चौदह दिनों की सूचना दी जाएगी:

परन्तु यह कि आपात स्थिति में कुलाधिपति द्वारा अल्प सूचना पर भी गवर्निंग काउंसिल की बैठक आहूत की जा सकेगी।

(ङ) गवर्निंग काउंसिल के तत्समय विद्यमान सदस्यों की कुल संख्या का एक–तिहाई भाग गणपूर्ति (Quorum) होगा।

(च) प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और गवर्निंग काउंसिल के समक्ष विचाराधीन किसी प्रश्न पर मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में बैठक की अध्यक्षता कर रहे कुलाधिपति निर्णायक मत (Casting Vote) देने का भी हकदार होंगे।

(छ) इस अधिनियम अथवा परिनियमों द्वारा प्रदत्त अथवा सौंपी गई अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा अन्य कृत्यों का निर्वहन करना ।

**22. कार्यकारी परिषद् ।—**

(1) कार्यकारी परिषद् विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक निकाय होगी।

(2) कार्यकारी परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) कुलपति — अध्यक्षय

(ख) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, अथवा उनका ऐसा प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का न हो;

(ग) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, अथवा उनका ऐसा प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का न हो;

(घ) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, अथवा उनका ऐसा प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का न हो;

(ङ) निदेशक, उच्च शिक्षा/ विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग;

(च) उच्च शिक्षा, अनुसंधान अथवा प्रबंधन के अग्रणी राष्ट्रीय संस्थानों, जैसे राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान अथवा विश्वविद्यालय के विशिष्टियों से संबंधित बिहार के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के दो निदेशक, जिन्हें कुलाधिपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा;

(छ) राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त दो प्रतिष्ठित शिक्षाविद्, वैज्ञानिक अथवा विषय–विशेषज्ञ, जिन्होंने विश्वविद्यालय के विशिष्टियों के प्रासंगिक क्षेत्रों अथवा संबद्ध एवं अंतर्विषयक क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान दिया हो, जिन्हें कुलाधिपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा, जिनमें से कम–से–कम एक सदस्य बिहार राज्य के बाहर का होगा;

(ज) विश्वविद्यालय के विशिष्टियों से संबंधित उद्योग, नवाचार, लोक नीति अथवा व्यावसायिक क्षेत्र से एक प्रतिष्ठित उद्योगपति, प्रौद्योगिकीविद् अथवा विषय–विशेषज्ञ, जिसे कुलाधिपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा;

(झ) अनुसंधान एवं विकास अधिष्ठाता;

(ञ) विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी महाविद्यालय का एक प्राचार्य (जहाँ विश्वविद्यालय से महाविद्यालय संबद्ध हों);

(ट) विश्वविद्यालय के दो संकायाध्यक्ष, जिन्हें कुलपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा तथा जो अपने मनोनयन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रम के आधार पर सदस्य रहेंगे;

(ठ) विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों में से वरीयता तथा चक्रानुक्रम के आधार पर कुलपति द्वारा मनोनीत, प्राध्यापक के पद से नीचे का न होने वाले तीन शिक्षक प्रतिनिधि;

(ड) छात्र कल्याण अधिष्ठाता;

(ढ) वित्त पदाधिकारी;

(ण) परीक्षा नियंत्रक;

(त) कुलसचिव — सदस्य–सचिव।

(3) (क) जो व्यक्ति किसी पद या नियुक्ति के कारण कार्यकारी परिषद् का सदस्य बना है, उसकी सदस्यता उस पद या नियुक्ति के समाप्त हो जाने पर समाप्त हो जाएगी।

(ख) पदेन सदस्यों से भिन्न कार्यकारी परिषद् के मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

(ग) कार्यकारी परिषद् का कोई सदस्य अपनी सदस्यता से वंचित हो जाएगा, यदि वह त्यागपत्र दे देता है अथवा विकृतचित्त हो जाता है अथवा दिवालिया घोषित किया जाता है अथवा नैतिक अधमता से संबंधित किसी आपराधिक अपराध में दोषसिद्ध हो जाता है। कुलपति तथा कुलसचिव से भिन्न कोई सदस्य विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर लेता है, तो वह कार्यकारी परिषद् का सदस्य नहीं रहेगा।

(घ) कार्यकारी परिषद् का कोई मनोनीत सदस्य, जो पदेन सदस्य न हो, कुलपति को संबोधित पत्र द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकेगा और ऐसा त्यागपत्र कुलपति द्वारा स्वीकार किए जाने की तिथि से प्रभावी होगा।

(ङ) कार्यकारी परिषद् में उत्पन्न किसी रिक्ति को संबंधित मनोनयन प्राधिकारी द्वारा शेष कार्यकाल के लिए भरा जाएगा तथा मूल सदस्य के कार्यकाल की समाप्ति पर ऐसा मनोनयन स्वतः समाप्त हो जाएगा।

(4) कार्यकारी परिषद् की शक्तियाँ, कार्य एवं बैठकें।

I. कार्यकारी परिषद् विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यपालक प्राधिकार होगी और इस रूप में उसे इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए आवश्यक समस्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी। वह उक्त प्रयोजन के लिए तथा इस अधिनियम में उपबंधित विषयों के संबंध में गवर्निंग काउंसिल के अनुमोदन से विनियम बना सकेगी।

II. कार्यकारी परिषद् की निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कार्य होंगे, अर्थात् :—

(क) गवर्निंग काउंसिल की वार्षिक बैठक में निम्नलिखित प्रस्तुत करना—

(i.) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन;

(ii.) लेखा–विवरण;

(iii.) आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन तथा

(iv.) ऐसा कोई अन्य महत्त्वपूर्ण विषय, जिसे प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हो।

(ख) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखों, निवेशों, परिसंपत्तियों, कार्यकलापों तथा अन्य सभी प्रशासनिक मामलों का प्रबंधन एवं विनियमन करना तथा इस उद्देश्य से समितियों का गठन करना और अपनी शक्तियाँ ऐसी समितियों अथवा विश्वविद्यालय के ऐसे पदाधिकारियों को प्रत्यायोजित करना, जिन्हें वह उचित समझे।

(ग) विश्वविद्यालय के कार्यों के संचालन हेतु आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर, उपकरणों तथा अन्य आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करना।

(घ) महत्त्वपूर्ण अधिसूचनाओं, प्रतिवेदनों तथा नीतिगत विषयों को गवर्निंग काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत करना।

(ङ) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार करना, उनका निर्णय करना तथा आवश्यक समझे जाने पर उनका निवारण करना।

(च) राज्य सरकार की सहमति से प्रशासनिक, लिपिकीय तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना, ऐसे पदों की संख्या एवं परिलब्धियों का निर्धारण करना तथा उन पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएँ एवं सेवा की शर्तें निर्धारित करना, जो इस निमित्त बनाए गए परिनियमों एवं विनियमों में विहित हों।

(छ) शैक्षणिक परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् परीक्षकों एवं मॉडरेटरों की नियुक्ति करना तथा आवश्यक होने पर उन्हें हटाना, और उनके शुल्क, पारिश्रमिक, यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्तों का निर्धारण करना।

(ज) विश्वविद्यालय के लिए सामान्य मुहर (Common Seal) का चयन करना।

(झ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए परिनियमों द्वारा उस पर अधिरोपित किए गए हों या जो विश्वविद्यालय के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक हों।

III. (क) कार्यकारी परिषद् की बैठक प्रत्येक चार माह में कम–से–कम एक बार होगी तथा ऐसी बैठक के लिए कम–से–कम चौदह दिनों की सूचना दी जाएगी।

(ख) कार्यकारी परिषद् की बैठक कुलपति के निर्देश पर अथवा कार्यकारी परिषद् के कम–से–कम तीन सदस्यों के अनुरोध पर कुलसचिव द्वारा आहूत की जाएगी।

(ग) विश्वविद्यालय का कुलसचिव कार्यकारी परिषद् का पदेन सदस्य–सचिव होगा।

(घ) कार्यकारी परिषद् के कुल सदस्यों में से आधे सदस्य किसी बैठक के लिए गणपूर्ति (Quorum) होंगे।

(ङ) सदस्यों के बीच मतभेद की स्थिति में बहुमत का मत मान्य होगा।

(च) कार्यकारी परिषद् के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और किसी विषय पर मतों की संख्या समान होने की स्थिति में कार्यकारी परिषद् के अध्यक्ष अथवा, यथास्थिति, उस बैठक की अध्यक्षता कर रहे सदस्य को निर्णायक मत देने का अतिरिक्त अधिकार होगा।

(छ) कार्यकारी परिषद् की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता कुलपति करेंगे तथा उनकी अनुपस्थिति में कुलपति द्वारा प्राधिकृत कोई सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(ज) यदि कार्यकारी परिषद् द्वारा किसी विषय पर तत्काल निर्णय लिया जाना आवश्यक हो, तो कुलपति परिषद् के सदस्यों के बीच अभिलेखों के परिसंचरण (Circulation) द्वारा कार्य–संचालन की अनुमति दे सकेंगे। इस प्रकार लिया गया कोई निर्णय तब तक वैध नहीं होगा, जब तक कार्यकारी परिषद् के सदस्यों के बहुमत द्वारा उसका अनुमोदन न कर दिया जाए। ऐसे निर्णय की सूचना तत्काल कार्यकारी परिषद् के सभी सदस्यों को दी जाएगी। यदि कार्यकारी परिषद् कोई निर्णय लेने में असफल रहती है, तो विषय कुलाधिपति को संदर्भित किया जाएगा और उस पर कुलाधिपति का निर्णय अंतिम होगा।–

**23. शैक्षणिक परिषद् ।—**

(1) शैक्षणिक परिषद् विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी तथा यह अधिनियम, परिनियमों, विनियमों एवं अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय करेगी तथा उन पर सामान्य अधीक्षण रखेगी।

(2) शैक्षणिक परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) कुलपति — अध्यक्ष;

(ख) उच्च शिक्षा, अनुसंधान अथवा प्रबंधन के अग्रणी राष्ट्रीय संस्थानों, जैसे राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान अथवा विश्वविद्यालय के विशिष्टियों से संबंधित बिहार के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के दो निदेशक अथवा उनके ऐसे प्रतिनिधि, जो प्राध्यापक के स्तर से नीचे के न हों, और जिन्हें कुलाधिपति द्वारा मनोनीत किया गया हो;

(ग) राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद्, वैज्ञानिक अथवा विषय–विशेषज्ञ, जिसने विश्वविद्यालय के विशिष्टियों के प्रासंगिक क्षेत्रों अथवा संबद्ध एवं अंतर्विषयक क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान दिया हो, और जिसे कुलाधिपति द्वारा मनोनीत किया गया हो;

(घ) अनुसंधान एवं विकास अधिष्ठाता;

(ङ) विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के दो प्राचार्य (जहाँ विश्वविद्यालय से महाविद्यालय संबद्ध हों);

(च) विश्वविद्यालय के सभी संकायाध्यक्ष;

(छ) विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष;

(ज) विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों में से वरीयता एवं चक्रानुक्रम के आधार पर कुलपति द्वारा मनोनीत, प्राध्यापक के पद से नीचे का न होने वाले चार शिक्षक प्रतिनिधि;

(झ) वित्त पदाधिकारी;

(ञ) परीक्षा नियंत्रक;

(ट) कुलसचिव — सदस्य–सचिव।

(3) शैक्षणिक परिषद् की शक्तियाँ, कार्य एवं बैठकें।—इस अधिनियम, परिनियमों तथा विनियमों के उपबंधों और कार्यकारी परिषद् के समग्र अधीक्षण के अधीन रहते हुए, शैक्षणिक परिषद् विश्वविद्यालय के शैक्षणिक मामलों एवं कार्यकलापों का प्रबंधन करेगी तथा विशेष रूप से निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात् :—

(क) गवर्निंग काउंसिल अथवा कार्यकारी परिषद् द्वारा संदर्भित या उसे प्रत्यायोजित किसी विषय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना;

(ख) विश्वविद्यालय में पदों के सृजन, उन्मूलन अथवा वर्गीकरण, उन पर देय वेतन, भत्तों एवं अन्य परिलब्धियों तथा उनसे संबद्ध कर्तव्यों के संबंध में कार्यकारी परिषद् को अनुशंसाएँ करना;

(ग) परिनियमों द्वारा विहित रीति से महाविद्यालयों में शिक्षण–कार्य के संचालन पर अधीक्षण एवं नियंत्रण रखना।

(घ) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों के संबंध में कार्यकारी परिषद् को परामर्श देना तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा किसी अन्य सांविधिक अथवा विनियामक प्राधिकार द्वारा समय–समय पर जारी विनियमों, दिशानिर्देशों एवं मानकों के अनुरूप शैक्षणिक बैंक ऑफ क्रेडिट, राष्ट्रीय क्रेडिट रूपरेखा, बहु–प्रवेश एवं बहु–निर्गमन प्रणाली, क्रेडिट अंतरण, अंतर्विषयक एवं बहुविषयक कार्यक्रमों तथा अन्य शैक्षणिक सुधारों के कार्यान्वयन हेतु उपायों की अनुशंसा करना।

(ङ) संकायों के संगठन के लिए योजनाएँ तैयार करना तथा उनमें संशोधन अथवा पुनरीक्षण करना, विभिन्न संकायों को उनके विषय आवंटित करना तथा किसी संकाय के उन्मूलन, उप–विभाजन अथवा एक संकाय के दूसरे संकाय के साथ विलय की औचित्यता के संबंध में कार्यकारी परिषद् को प्रतिवेदन देना।

(च) विश्वविद्यालय के अधीन अनुसंधान को प्रोत्साहित करना तथा समय–समय पर ऐसे अनुसंधान से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त करना।

(छ) शैक्षणिक विषयों से संबंधित अध्यादेशों के प्रारूप कार्यकारी परिषद् को प्रस्तावित करना।

(ज) संकायों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करना।

(झ) अन्य विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों द्वारा प्रदान की गई उपाधियों की मान्यता की अनुशंसा करना तथा विश्वविद्यालय के प्रमाणपत्रों, उपाधिपत्रों एवं उपाधियों के संदर्भ में उनकी समकक्षता का निर्धारण करना।

(ञ) गवर्निंग काउंसिल द्वारा स्वीकृत शर्तों के अधीन रहते हुए अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों तथा अन्य पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा का समय, रीति एवं शर्तें निर्धारित करना तथा उनके प्रदान किए जाने की अनुशंसा करना।

(ट) परीक्षकों की नियुक्ति, आवश्यक होने पर उनके पद से हटाए जाने तथा उनके शुल्क, पारिश्रमिक, यात्रा भत्ते एवं अन्य व्ययों के निर्धारण के संबंध में कार्यकारी परिषद् को अनुशंसाएँ करना।

(ठ) परीक्षाओं के संचालन तथा उनके आयोजन की तिथियों के संबंध में व्यवस्थाओं की अनुशंसा करना।

(ड) विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम घोषित करना अथवा उनका पुनर्विलोकन करना, अथवा इस प्रयोजन हेतु समितियों या पदाधिकारियों की नियुक्ति करना तथा उपाधियों, सम्मानों, अनुज्ञप्तियों, उपाधि–विशेषों एवं विशिष्टता–चिह्नों के प्रदान किए जाने संबंधी अनुशंसाएँ करना।

(ढ) विनियमों तथा पुरस्कारों से संबद्ध अन्य उपबंधों के अधीन वजीफों, छात्रवृत्तियों, पदकों एवं पुरस्कारों की अनुशंसा करना तथा अन्य सम्मान प्रदान करना।

(ण) विहित अथवा अनुशंसित पाठ्य–पुस्तकों की सूचियों का अनुमोदन अथवा पुनरीक्षण करना तथा उनका प्रकाशन करना और पाठ्यक्रमों एवं अध्ययन–क्रमों का अनुमोदन करना।

(त) ऐसे प्रपत्रों एवं अभिलेख–पंजियों का अनुमोदन करना, जिनकी समय–समय पर विनियमों के अधीन आवश्यकता हो।

(थ) शैक्षणिक विषयों के संबंध में ऐसे सभी कर्तव्यों का निर्वहन करना तथा ऐसे सभी कार्य करना, जो इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों एवं विनियमों के उपबंधों के समुचित क्रियान्वयन हेतु आवश्यक हों।

(4) (i) शैक्षणिक परिषद् की बैठक आवश्यकता अनुसार आयोजित की जाएगी, किन्तु प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में कम–से–कम दो बैठकें आयोजित की जाएँगी।

(क) शैक्षणिक परिषद् के तत्समय विद्यमान सदस्यों की कुल संख्या का आधे भाग किसी बैठक के लिए गणपूर्ति होगा।

(ख) सदस्यों के मध्य मतभेद की स्थिति में बहुमत का मत मान्य होगा।

(ग) शैक्षणिक परिषद् के अध्यक्ष सहित प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा तथा परिषद् के समक्ष विचाराधीन किसी विषय पर मतों की संख्या समान होने की स्थिति में शैक्षणिक परिषद् के अध्यक्ष अथवा, यथास्थिति, बैठक की अध्यक्षता कर रहे सदस्य को निर्णायक मत (Casting Vote) देने का अतिरिक्त अधिकार होगा।

(घ) शैक्षणिक परिषद् की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता कुलपति करेंगे तथा उनकी अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा उस अवसर के लिए निर्वाचित कोई सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(ङ) यदि शैक्षणिक परिषद् द्वारा किसी विषय पर तत्काल निर्णय लिया जाना आवश्यक हो, तो शैक्षणिक परिषद् के अध्यक्ष परिषद् के सदस्यों के बीच पत्रावलियों के परिसंचरण द्वारा कार्य–संचालन की अनुमति दे सकेंगे। इस प्रकार लिया गया कोई निर्णय तब तक वैध नहीं होगा, जब तक शैक्षणिक परिषद् के सदस्यों के बहुमत द्वारा उसका अनुमोदन न कर दिया जाए। ऐसे निर्णय की सूचना तत्काल शैक्षणिक परिषद् के सभी सदस्यों को दी जाएगी। यदि शैक्षणिक परिषद् कोई निर्णय लेने में असफल रहती है, तो विषय कुलाधिपति को संदर्भित किया जाएगा तथा उस पर कुलाधिपति का निर्णय अंतिम होगा।

**24.** **अध्ययन बोर्ड ।—**अध्ययन बोर्ड की संरचना, शक्तियाँ एवं कार्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएँगे।

**25.** **संबद्धता बोर्ड ।**–संबद्धता बोर्ड महाविद्यालयों एवं संस्थानों को विश्वविद्यालय से संबद्धता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा। संबद्धता बोर्ड की संरचना, उसके सदस्यों का कार्यकाल तथा उसके कार्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएँगे।

**26.** **योजना बोर्ड ।—**योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उसके विकास एवं विस्तार संबंधी योजनाएँ तथा अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजनाएँ तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा। योजना बोर्ड की संरचना, शक्तियाँ, उसके सदस्यों का कार्यकाल तथा उसके कार्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएँगे।

**27.** **अनुसंधान परिषद ।—**अनुसंधान परिषद् की संरचना, शक्तियाँ, उसके सदस्यों का कार्यकाल तथा उसके कार्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएँगे।

**28.** **वित्त समिति ।—**वित्त समिति की संरचना, शक्तियाँ तथा कार्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएँगे।

**29.** **राज्य सरकार का अधिकार–क्षेत्र ।—**

(1) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना विश्वविद्यालय निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा, अर्थात्:—

(क) शिक्षकों, पदाधिकारियों अथवा किसी अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के नए पदों का सृजन करना;

(ख) अपने शिक्षकों, पदाधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, सेवा निवृत्त लाभों तथा अन्य सुविधाओं में संशोधन करना;

(ग) अपने किसी शिक्षक, पदाधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी को किसी भी प्रकार का विशेष वेतन, भत्ता, अनुग्रह अनुदान अथवा वित्तीय प्रभाव वाले किसी अन्य अतिरिक्त पारिश्रमिक या लाभ प्रदान करना;

(घ) किसी विशिष्ट प्रयोजन हेतु प्राप्त निधि का उपयोग उस प्रयोजन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए करना;

(ङ) किसी अचल संपत्ति का विक्रय अथवा पट्टे पर हस्तांतरण करना;

(च) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा किसी व्यक्ति या निकाय से प्राप्त निधि को उस प्रयोजन से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जिसके लिए वह निधि प्राप्त हुई है, किसी विकास कार्य पर व्यय करना।

(2) विश्वविद्यालय, समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी नीतियों एवं निर्देशों के अनुरूप, निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त निधियों में से व्यय करने के लिए सक्षम होगा :—

(क) विभिन्न वित्तपोषण अभिकरणों से प्राप्त ऐसी निधियाँ, जिनमें राज्य सरकार का कोई अंशदान अथवा योगदान न हो;

(ख) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यक्तियों, उद्योगों, संस्थाओं, संगठनों अथवा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त योगदान;

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा सहायता प्राप्त अथवा स्ववित्तपोषित शैक्षणिक कार्यक्रमों तथा अन्य सेवाओं के लिए प्राप्त शुल्क अथवा योगदान;

(घ) विकास निधि अथवा विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित कोई अन्य निधि;

निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु :—

(i) स्ववित्तपोषित आधार पर शैक्षणिक कार्यक्रम प्रारंभ करना;

(ii) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को उनके नियमित कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों से अतिरिक्त सौंपे गए कार्यों के निष्पादन के लिए पारिश्रमिक अथवा प्रोत्साहन राशि प्रदान करना;

(iii) विकास कार्यों तथा विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के कल्याण संबंधी गतिविधियों पर व्यय करना :

परन्तु यह कि ऐसे किसी व्यय के संबंध में राज्य सरकार पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, तात्कालिक अथवा भावी कोई वित्तीय दायित्व नहीं होगा।

(iv) इस अधिनियम में निहित किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार से प्राप्त निधियों के वित्तीय व्यय, आहरण एवं वितरण, कोषागार संबंधी कार्यवाहियों, लेखा तथा लेखापरीक्षा से संबंधित सभी विषय बिहार वित्तीय नियमावली, बिहार कोषागार संहिता तथा वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों, परिपत्रों, दिशानिर्देशों एवं अन्य वित्तीय प्रावधानों के अधीन होंगे।

(3) राज्य की सभी विश्वविद्यालयों में समान मानकों को सुनिश्चित एवं बनाए रखने के उद्देश्य से राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक मानक संहिता (Standard Code) विहित कर सकेगी, जिसमें पदों के वर्गीकरण, चयन की रीति एवं प्रक्रिया, नियुक्ति, अभिमुखीकरण (Induction) एवं उन्नत प्रशिक्षण, क्षेत्रीय अनुभव (Field Exposure), प्रतिनियुक्ति तथा राज्य सरकार के मानदंडों के अनुरूप आरक्षण से संबंधित उपबंध किए जा सकेंगे।

(4) विश्वविद्यालयों में शिक्षकीय एवं गैर–शिक्षकीय कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु अर्हताएँ तथा अन्य अपेक्षाएँ ऐसी होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित आदेश के माध्यम से विनिर्दिष्ट की जाएँ।

(5) राज्य सरकार को, उप सचिव अथवा उसके समकक्ष स्तर से नीचे का न होने वाले किसी पदाधिकारी के माध्यम से, विश्वविद्यालय, उसके किसी संस्थान अथवा विश्वविद्यालय के विभाग का निरीक्षण कराने का अधिकार होगा।

(6) यदि विश्वविद्यालय धारा 5 में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने अथवा कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहता है, अथवा उनका समुचित रूप से प्रयोग या निर्वहन नहीं करता है, अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी किसी आदेश का अनुपालन करने में विफल रहता है, अथवा ऐसी अन्य परिस्थितियों में जिन्हें राज्य सरकार उपयुक्त समझे, राज्य सरकार विश्वविद्यालय को उक्त शक्तियों के समुचित प्रयोग, कर्तव्यों के उचित निर्वहन अथवा आदेशों के अनुपालन के लिए निर्देश जारी कर सकेगी, और ऐसे निर्देशों का पालन करना विश्वविद्यालय का कर्तव्य होगा।

परन्तु यह कि यदि विश्वविद्यालय ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो राज्य सरकार धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन आवश्यक कार्रवाई हेतु मामला कुलाधिपति को संदर्भित कर सकेगी ।

**30.** **नियम ।**—बिहार सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

**31. परिनियम बनाने की शक्ति ।— इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिनियमों द्वारा निम्नलिखित सभी अथवा किन्हीं विषयों के संबंध में उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—**

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारों तथा अन्य निकायों की, जिन्हें समय–समय पर गठित किया जाए, संरचना, शक्तियाँ एवं कृत्य;

(ख) उक्त प्राधिकारों एवं निकायों के सदस्यों की नियुक्ति तथा पद पर बने रहने की अवधि, सदस्यों के पदों में रिक्तियों की पूर्ति तथा उन प्राधिकारों एवं निकायों से संबंधित ऐसे अन्य सभी विषय, जिनके संबंध में उपबंध करना आवश्यक अथवा वांछनीय हो;

(ग) विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों की नियुक्ति, उनकी शक्तियाँ, कर्तव्य एवं परिलब्धियाँ;

(घ) विश्वविद्यालय के शिक्षकों, शैक्षणिक कर्मियों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी परिलब्धियाँ एवं सेवा की शर्तें;

(ङ) किसी अन्य विश्वविद्यालय अथवा संगठन में कार्यरत शिक्षकों एवं शैक्षणिक कर्मियों की किसी संयुक्त परियोजना के निष्पादन हेतु एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्ति;

(च) कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, जिनमें पेंशन, बीमा, भविष्य निधि, सेवा समाप्ति की रीति तथा अनुशासनिक कार्रवाई संबंधी उपबंध शामिल होंगे;

(छ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा– वरीयता के निर्धारण के सिद्धांत;

(ज) कर्मचारियों अथवा विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय के मध्य विवाद की स्थिति में मध्यस्थता (Arbitration) की प्रक्रिया;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी अथवा प्राधिकार द्वारा की गई कार्रवाई के विरुद्ध किसी कर्मचारी अथवा विद्यार्थी द्वारा कार्यकारी परिषद् के समक्ष अपील की प्रक्रिया;

(ञ) ऐसे महाविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा, जिसे स्वायत्त महाविद्यालय अथवा स्वायत्त संस्थान घोषित किया गया हो, प्रयोग की जाने वाली स्वायत्तता की सीमा;

(ट) मानद उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(ठ) विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों एवं संस्थानों का प्रबंधन;

(ड) उपाधियों, उपाधिपत्रों, प्रमाण–पत्रों तथा अन्य शैक्षणिक श्रेणियों की वापसी;

(ढ) विश्वविद्यालय के प्राधिकारों अथवा पदाधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन;

(ण) कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखना; तथा

(त) ऐसे सभी अन्य विषय, जिनके संबंध में इस अधिनियम द्वारा परिनियमों अथवा नियमों में उपबंध किया जाना अपेक्षित हो अथवा किया जा सके।

**32. परिनियम किस प्रकार बनाए जाएँगे ।—**

(1) प्रथम परिनियम, गवर्निंग काउंसिल की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा बनाए जाएँगे।

(2) गवर्निंग काउंसिल, स्वयं संज्ञान लेते हुए अथवा कार्यकारी परिषद् द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, समय–समय पर नए अथवा अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी अथवा उपधारा (1) में उल्लिखित परिनियमों में संशोधन या उनका निरसन कर सकेगी :

परन्तु यह कि गवर्निंग काउंसिल विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार की स्थिति, शक्तियों अथवा संरचना को प्रभावित करने वाला कोई परिनियम तब तक नहीं बनाएगी, न उसमें संशोधन करेगी और न उसका निरसन करेगी, जब तक कि उस प्राधिकार को प्रस्तावित परिवर्तन के संबंध में लिखित रूप से अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो, और इस प्रकार व्यक्त की गई राय पर गवर्निंग काउंसिल द्वारा विचार किया जाएगा।

(3) जब गवर्निंग काउंसिल किसी परिनियम के प्रारूप को पारित कर देगी, तब उसे कुलाधिपति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा और कुलाधिपति यह घोषित करेंगे कि वे उस परिनियम को गवर्निंग काउंसिल द्वारा पारित रूप में अथवा ऐसे संशोधनों सहित, जिन्हें वे उचित समझें, अनुमोदन प्रदान करते हैं :

परन्तु यह कि यदि किसी परिनियम के कारण कोई वित्तीय दायित्व उत्पन्न होता हो, तो वह तब तक प्रवर्तनीय नहीं होगा, जब तक राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त न कर ली गई हो।

(4) उपर्युक्त उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी समय कुलाधिपति यह संतुष्ट हों कि किसी समान हित के विषय पर परिनियम बनाया जाना आवश्यक है, तो वे अपने द्वारा गठित समिति की सलाह प्राप्त करने के पश्चात् परिनियम का प्रारूप कुलपतियों तथा बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (BSHEC) को उनकी राय प्राप्त करने हेतु प्रेषित करेंगे। ऐसे कुलपति तथा परिषद् प्रारूप की प्राप्ति की तिथि से दस दिनों के भीतर अथवा कुलाधिपति द्वारा निर्धारित की गई ऐसी अन्य अवधि के भीतर अपनी राय भेजेंगे।

कुलाधिपति प्राप्त रायों के आलोक में अथवा स्वप्रेरणा से आवश्यक समझे गए संशोधनों सहित उस परिनियम को अनुमोदन प्रदान करेंगे। ऐसा परिनियम कुलाधिपति के अनुमोदन की तिथि से विश्वविद्यालयों में प्रवृत्त माना जाएगा।

परन्तु यह भी कि राज्य सरकार विश्वविद्यालयों के समान हित के किसी विषय पर परिनियम बनाने का सुझाव कुलाधिपति को दे सकेगी।

**33. अध्यादेश तथा उनके विषय ।—**

(1) इस अधिनियम एवं परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यादेशों द्वारा निम्नलिखित सभी अथवा किन्हीं विषयों के संबंध में उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश तथा उनके नामांकन से संबंधित विषय;
(ख) विश्वविद्यालय की समस्त उपाधियों, उपाधिपत्रों एवं प्रमाण–पत्रों हेतु निर्धारित किए जाने वाले अध्ययन–पाठ्यक्रम;
(ग) शिक्षण एवं परीक्षा का माध्यम;
(घ) उपाधियों, उपाधिपत्रों, प्रमाण–पत्रों तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं का प्रदान किया जाना, उनके लिए अपेक्षित अर्हताएँ तथा उनके प्रदान किए जाने एवं प्राप्त किए जाने से संबंधित उपाय;
(ङ) विश्वविद्यालय में अध्ययन–पाठ्यक्रमों, परीक्षाओं, उपाधियों एवं उपाधिपत्रों के लिए अधिरोपित की जाने वाली फीस;
(च) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तिपदों, पदकों एवं पुरस्कारों के प्रदान किए जाने की शर्तें;
(छ) परीक्षाओं का संचालन, जिसमें परीक्षकीय निकायों, परीक्षकों एवं मॉडरेटरों के कार्यकाल, नियुक्ति की रीति तथा उनके कर्तव्य सम्मिलित होंगे;
(ज) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के निवास संबंधी शर्तें;
(झ) छात्राओं के निवास एवं शिक्षण के संबंध में की जाने वाली विशेष व्यवस्थाएँ तथा उनके लिए विशेष अध्ययन–पाठ्यक्रमों का निर्धारण;
(ञ) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं तथा अन्य समितियों की स्थापना;
(ट) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थानों तथा विद्वत् निकायों या संघों सहित अन्य अभिकरणों के साथ सहयोग एवं सहभागिता की रीति;
(ठ) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन के उन्नयन हेतु आवश्यक समझे जाने वाले किसी अन्य निकाय का सृजन, गठन एवं उसके कार्य;
(ड) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तिपदों, पदकों एवं पुरस्कारों की स्थापना;
(ढ) कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों की शिकायतों के निवारण हेतु व्यवस्था की स्थापना;
(ण) तथा ऐसे सभी अन्य विषय, जिनके संबंध में इस अधिनियम अथवा परिनियमों द्वारा अध्यादेशों में उपबंध किया जाना अपेक्षित हो अथवा किया जा सके।

**34. अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएँगे ।—**

(1) धारा 33 के अधीन कार्यकारी परिषद् द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश यथाशीघ्र गवर्निंग काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और तत्पश्चात गवर्निंग काउंसिल का यह कर्तव्य होगा कि वह अपनी अगली बैठक में उस अध्यादेश पर विचार करे। गवर्निंग काउंसिल उस बैठक में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उस अध्यादेश को अस्वीकार कर सकेगी अथवा ऐसे संशोधनों सहित, यदि कोई हों, तथा ऐसी तिथि से, जिसे वह निर्देशित करे, अनुमोदित कर सकेगी।

परन्तु यह कि यदि किसी अध्यादेश के कारण कोई वित्तीय दायित्व उत्पन्न होता हो, तो वह तब तक प्रवर्तनीय नहीं होगा, जब तक राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त न कर ली गई हो।

(2) प्रथम अध्यादेश, कुलपति द्वारा गवर्निंग काउंसिल की पूर्व स्वीकृति से बनाया जाएगा तथा इस प्रकार बनाया गया अध्यादेश परिनियमों द्वारा विहित रीति से कार्यकारी परिषद् द्वारा किसी भी समय संशोधित, निरसित अथवा परिवर्धित किया जा सकेगा।

**35. विनियम ।—** विश्वविद्यालय के प्राधिकार, इस अधिनियम एवं परिनियमों के उपबंधों के अनुरूप तथा परिनियमों द्वारा विहित रीति से, अपने स्वयं के कार्य–संचालन तथा उनके द्वारा गठित समितियों, यदि कोई हों, के कार्य–संचालन के लिए, उन विषयों के संबंध में जिनके लिए इस अधिनियम अथवा परिनियमों में उपबंध नहीं किया गया है, तथा ऐसे अन्य विषयों के संबंध में जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएँ, विनियम बना सकेंगे।

परन्तु यह कि यदि किसी विनियम के कारण कोई वित्तीय दायित्व उत्पन्न होता हो, तो ऐसा विनियम तब तक प्रवर्तनीय नहीं होगा, जब तक राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त न कर ली गई हो।

**36. वार्षिक प्रतिवेदन ।—**

(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन कार्यकारी परिषद् के निर्देशन में तैयार किया जाएगा, जिसमें अन्य विषयों के साथ–साथ विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उठाए गए कदमों का भी उल्लेख होगा। यह प्रतिवेदन परिनियमों द्वारा विहित तिथि तक गवर्निंग काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और गवर्निंग काउंसिल अपनी वार्षिक बैठक में उस पर विचार करेगी।

(2) गवर्निंग काउंसिल वार्षिक प्रतिवेदन को, यदि कोई टिप्पणियाँ हों तो उनके साथ, कुलाधिपति को प्रेषित करेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन तैयार किए गए वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति बिहार सरकार के उच्च शिक्षा विभाग को भी प्रेषित की जाएगी।

**37. विश्वविद्यालय निधि ।—**

(1) विश्वविद्यालय की एक सामान्य निधि होगी, जिसमें निम्नलिखित राशियाँ जमा की जाएँगी, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय को उसकी शैक्षणिक, अनुसंधान, परामर्शी तथा अन्य गतिविधियों से प्राप्त शुल्क, अनुदान, दान, उपहार तथा सभी स्रोतों से प्राप्त अन्य आय;

(ख) राज्य सरकार, केंद्र सरकार अथवा किसी अन्य सरकारी या गैर–सरकारी अभिकरण, जिसमें राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय संगठन, सांविधिक निकाय अथवा वित्तपोषण अभिकरण सम्मिलित हैं, से प्राप्त अनुदान, अंशदान अथवा वित्तीय सहायता;

(ग) विश्वविद्यालय के निवेशों, संपत्तियों अथवा अन्य परिसंपत्तियों से प्राप्त आय, न्यास निधियों तथा अन्य प्राप्तियाँ।

(2) विश्वविद्यालय की ऐसी अन्य निधियाँ भी हो सकेंगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएँ।

(3) विश्वविद्यालय की निधियों तथा उसकी समस्त धनराशि का प्रबंधन एवं संचालन परिनियमों द्वारा विहित रीति से किया जाएगा।

(4) राज्य सरकार, प्रत्येक वर्ष, विश्वविद्यालय में अध्ययन एवं अनुसंधान को सुविधाजनक बनाने एवं प्रोत्साहित करने तथा उसके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अनुदान–सहायता ( प्रदान कर सकेगी।

**38. लेखा तथा लेखापरीक्षा ।—**

(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे एवं बैलेंस शीट कार्यकारी परिषद् के निर्देशन में तैयार किए जाएँगे तथा उनका लेखापरीक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अथवा उसकी ओर से प्राधिकृत किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वर्ष कम–से–कम एक बार और किसी भी दशा में पंद्रह माह से अधिक के अंतराल पर नहीं किया जाएगा।

(2) वार्षिक लेखों की एक प्रति, उन पर की गई लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सहित, कार्यकारी परिषद् की टिप्पणियों, यदि कोई हों, के साथ गवर्निंग काउंसिल तथा कुलाधिपति को प्रस्तुत की जाएगी।

(3) वार्षिक लेखों पर कुलाधिपति द्वारा की गई किसी टिप्पणी को गवर्निंग काउंसिल के संज्ञान में लाया जाएगा तथा गवर्निंग काउंसिल की टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, उन पर विचार करने के पश्चात् कुलाधिपति को प्रेषित की जाएँगी।

(4) वार्षिक लेखों की एक प्रति, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सहित, जो कुलाधिपति को प्रस्तुत की गई हो, बिहार सरकार के उच्च शिक्षा विभाग को भी प्रेषित की जाएगी।

**39. विवरणियाँ एवं सूचनाएँ उपलब्ध कराना।—**विश्वविद्यालय, राज्य सरकार को अपनी संपत्ति, प्रशासन, कार्यकलापों अथवा गतिविधियों के संबंध में ऐसी विवरणियाँ, प्रतिवेदन अथवा अन्य सूचनाएँ उपलब्ध कराएगा, जिनकी अपेक्षा राज्य सरकार समय–समय पर करे।

**40. कर्मचारियों की सेवा की शर्तें।—**विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा अन्य कर्मियों की सेवा शर्तों से संबंधित सभी विषय, जिनमें नियुक्ति, परिवीक्षा, सेवा–पुष्टि, पदोन्नति, वरिष्ठता, वेतनबैंड/वेतनमान, अनुशासनिक नियंत्रण, सेवा–समापन तथा सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ सम्मिलित हैं, परिनियमों अथवा नियमों द्वारा विनियमित होंगे।

**41. विश्वविद्यालय पुनर्विलोकन आयोग का गठन ।—**

(1) कुलाधिपति, अपने स्वयं के प्रस्ताव पर अथवा बिहार सरकार के अनुरोध पर, प्रत्येक पाँच वर्ष में कम–से–कम एक बार विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के पुनर्विलोकन तथा उसके संबंध में अनुशंसाएँ करने के लिए एक आयोग का गठन करेंगे।

(2) आयोग में कम–से–कम तीन सदस्य होंगे, जो प्रतिष्ठित शिक्षाविदों, प्रशासनिक विशेषज्ञों, वित्तीय विशेषज्ञों तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों में से होंगे। ऐसे आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा राज्य सरकार से परामर्श कर की जाएगी।

(3) आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के नियम एवं शर्तें ऐसी होंगी, जिन्हें कुलाधिपति निर्धारित करेंगे।

(4) आयोग, ऐसी जाँच करने के पश्चात् जिसे वह उपयुक्त समझे, अपनी अनुशंसाएँ कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगा तथा उसकी एक प्रति राज्य सरकार को भी प्रेषित करेगा।

(5) कुलाधिपति, राज्य सरकार से परामर्श कर, आयोग की अनुशंसाओं पर ऐसी कार्रवाई कर सकेंगे, जिसे वे उपयुक्त समझें।

**42.** **अपील का अधिकार ।**—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय से संबंधित प्रत्येक कर्मचारी अथवा विद्यार्थी को, परिनियमों द्वारा विहित अवधि के भीतर, विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी अथवा प्राधिकार द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध गवर्निंग काउंसिल के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा; और ऐसी अपील पर गवर्निंग काउंसिल अपीलाधीन निर्णय की पुष्टि, संशोधन अथवा निरस्तीकरण कर सकेगी।

**43.** **भविष्य निधि एवं पेंशन निधि ।**—विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के हितार्थ, राज्य सरकार से परामर्श कर तथा परिनियमों द्वारा विहित रीति एवं शर्तों के अधीन, ऐसी भविष्य निधि, पेंशन निधि अथवा बीमा योजनाएँ स्थापित करेगा अथवा संचालित करेगा, जिन्हें वह उपयुक्त समझे।

**44.** **विश्वविद्यालय के प्राधिकारों एवं निकायों की संरचना से संबंधित विवाद ।**—यदि इस संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार अथवा अन्य निकाय का सदस्य विधिवत् निर्वाचित, नियुक्त अथवा सहयोजित हुआ है या नहीं, अथवा वह उसका सदस्य होने का पात्र है या नहीं, तो ऐसा विषय गवर्निंग काउंसिल को संदर्भित किया जाएगा और उस पर गवर्निंग काउंसिल का निर्णय अंतिम होगा।

**45.** **आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति ।**—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार अथवा अन्य निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों के बीच उत्पन्न सभी आकस्मिक रिक्तियाँ, यथाशीघ्र, उस व्यक्ति अथवा निकाय द्वारा भरी जाएँगी, जो उस सदस्य की नियुक्ति, निर्वाचन अथवा सहयोजन करता है, जिसके पद रिक्त हुआ है।

किसी आकस्मिक रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त, निर्वाचित अथवा सहयोजित व्यक्ति उक्त प्राधिकार अथवा निकाय का सदस्य उतनी ही शेष अवधि के लिए होगा, जितनी अवधि तक वह व्यक्ति, जिसके स्थान पर वह नियुक्त, निर्वाचित अथवा सहयोजित किया गया है, सदस्य बना रहता।

**46.** **विश्वविद्यालय के प्राधिकारों अथवा निकायों की कार्यवाहियाँ रिक्तियों के कारण अविधिमान्य नहीं होंगी ।**—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार अथवा अन्य निकाय का कोई कार्य, निर्णय अथवा कार्यवाही, उसके सदस्यों के बीच किसी रिक्ति अथवा रिक्तियों के विद्यमान होने मात्र के आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी।

**47.** **सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण ।**—इस अधिनियम, परिनियमों, नियमों, अध्यादेशों अथवा विनियमों के किसी उपबंध के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई अथवा की जाने के लिए आशयित किसी कार्रवाई के संबंध में विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी, अन्य कर्मचारी अथवा किसी प्राधिकार के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

**48.** **विश्वविद्यालय के अभिलेखों के साक्ष्य का तरीका ।**—भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार अथवा अन्य निकाय की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही अथवा संकल्प की प्रति, अथवा विश्वविद्यालय के अभिरक्षण में किसी अन्य दस्तावेज की प्रति, अथवा विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत् संधारित किसी पंजी में की गई किसी प्रविष्टि की प्रति, यदि कुलसचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणित की गई हो, तो उसे ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प अथवा दस्तावेज के अस्तित्व अथवा पंजी में की गई प्रविष्टि के अस्तित्व का प्रथमदृष्टया साक्ष्य (Prima Facie Evidence) माना जाएगा और उन विषयों तथा संव्यवहारों के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगा, जिनसे वह संबंधित है, यदि उसका मूल दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होता।

**49.** **संक्रमणकालीन उपबंध ।**—इस अधिनियम, परिनियमों अथवा विनियमों में निहित किसी बात के होते हुए भी, जहाँ कोई संघटक महाविद्यालय, संबद्ध महाविद्यालय अथवा संस्थान इस अधिनियम के अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय को हस्तांतरित किया जाता है, उससे संबद्ध किया जाता है अथवा उसके क्षेत्राधिकार में लाया जाता है, वहाँ ऐसे महाविद्यालय अथवा संस्थान में उक्त हस्तांतरण, संबद्धता अथवा क्षेत्राधिकार परिवर्तन की प्रभावी तिथि के ठीक पूर्व नामांकित प्रत्येक विद्यार्थी अपने अध्ययनक्रम को जारी रखने एवं पूर्ण करने का अधिकारी होगा। विश्वविद्यालय ऐसे विद्यार्थियों के शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा तथा उपयुक्त उपाधि अथवा अन्य शैक्षणिक विशिष्टता प्रदान करने हेतु, विहित रीति से तथा विहित अवधि तक आवश्यक व्यवस्था करेगा।

**50.** **कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।—**यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न होने वाले ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो उसे उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह भी कि इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के यथाशीघ्र पश्चात्, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

**अनुसूची**
**[धारा 3(1) देखें]**

| क्र. सं. | विश्वविद्यालय का नाम | मुख्यालय | उद्देश्य / विशेषज्ञता |
|---|---|---|---|
| 1. | | | |

बलराम दूबे,
सरकार के सचिव ।

5 अगस्त 2026

सं० एल०जी०–01–33/2026–6326/लेज——बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 3 अगस्त 2026 को अनुमत **बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026** (बिहार अधिनियम 26, 2026) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद माननीय बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बलराम दूबे,
सरकार के सचिव ।

**[Bihar Act 26, 2026]**

## The Bihar Specialized Universities Act, 2026

**AN**

**ACT**

To establish and incorporate Specialized Universities in the State of Bihar to provide provision for setting up various Universities in different thematic and disciplinary areas and for matters connected therewith or incidental thereto.

**Preamble**

*Whereas* the advancement of education, research, and innovation is vital for the socio-economic transformation of the State of Bihar and for strengthening its contribution to national development;

*And whereas* it is necessary to establish research-intensive universities with thematic strengths in frontier domains and other emerging and strategically significant areas and for such other special purposes as may be considered necessary in the interest of the State;

*And whereas* the National Education Policy, 2020 envisions the establishment of multidisciplinary institutions of higher learning, including Multidisciplinary Education and Research Universities (MERUs), across the State, to foster critical thinking, scientific temper, innovation, and academic excellence;

*And whereas* the State recognizes the need to develop institutional frameworks that promote excellence in teaching, cutting-edge research, interdisciplinary learning, and collaboration with national and international institutions;

NOW, therefore, it is expedient to enact a law to provide for the establishment, incorporation, governance and regulation of one or more Specialized Universities in the State of Bihar in such thematic and disciplinary or other special purpose areas as may be specified by or under this Act or by the State Government, by notification from time to time, and for matters connected therewith or incidental thereto:

**Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:—**

**1.** ***Short Title, Extent and Commencement***:

(i) This Act may be called " **Bihar Specialized Universities Act, 2026"**

(ii) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(iii) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify.

**2.** ***Definitions***: *– In this Act, unless there is anything repugnant to the subject or context-*

(a) '**Academic Council'** means the Academic Council of the University;

(b) **'Affiliated Institution'** means an institution affiliated by the University.

(c) **'Affiliation'** means affiliation granted by the University in accordance with the Statutes, Rules and Regulations made for the purpose;

(d) '**Board of Studies**' means the Board of Studies of a Department of the University;

(e) **'Chancellor**' means the Chancellor of the University;

(f) **'Chief Minister'** means the Chief Minister of the State of Bihar;

(g) **'College'** means a college teaching courses leading to a Bachelor or Higher degree;

(h) **'Courses'** means courses as approved by the University to conduct and other concerned Apex Regulatory Body;

(i) **'Governing Council'** means the Governing Council of the University;

(j) **'Department'** means a Department of the University including a Centre of Studies;

(k) ***'Employee'*** means the employee of a University including teachers, librarians, officers and non-teaching staff.

(l) '**Executive Council'** means the Executive Council of the University.

(m) **'Faculty'** means a Faculty of Studies of the University.

(n) **'Finance Committee'** means the Finance Committee of the University;

(o) '**Government**' means the Government of Bihar;

(p) **'Head of the Department**' means the Head of any teaching Department of the University;

(q) '**Institution**' means an academic institution, not being a College, maintained by the University;

(r) **'Misconduct'** means an act of misconduct prescribed by the Statutes;

(s) **'Notification'** means notification published in the Official Gazette;

(t) **'Ordinances'** means the Ordinances of the University for the time being in force;

(u) **'Principal'** means the Head of a College or Institution and includes, where there is no Principal, the person who is for the time being duly appointed to act as the Principal.

(v) '**Registrar**' means the Registrar of the University;

(w) '**Regulations**' means the Regulation made by any authority of the University under this Act for the time being in force;

(x) '**State**' means the State of Bihar;

(y) **'Statutes'** mean, respectively, the Statutes of the University for the time being in force;

(z) '**University'** means a University established and incorporated as a University under this Act.

(aa) '**University Fund**' means the fund of the University established under this Act.

(bb) **'University Grants Commission'** means the Commission established under Section-4 of the University Grants Commission Act, 1956 (Central Act 3 of 1956).

(cc) **'University Review Commission'** means the commission defined under this Act;

(dd) '**Vice-Chancellor**' means the Vice-Chancellor of the University.

The words and expressions used herein and not defined in the Act shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

**3.** ***Establishment and Incorporation of the University-***

(i.) The State Government may, from time to time, by notification in the Official Gazette, establish one or more specialized and multidisciplinary universities under this Act by such name, with such thematic or disciplinary focus, or for such other special purposes as the State Government may deem fit for having such territorial jurisdiction, with such constituent, affiliated colleges or institutions, and with effect from such date as may be specified in the notification, as a body corporate, and upon publication of the notification in the Official Gazette, the University shall be deemed to be included in the Schedule of the Act. The State Government may also, by the same or any subsequent notification, amend the schedule (alter or increase or diminish or redefine the territorial jurisdiction), specialisation, special purpose, headquarters, constituent or affiliated colleges or any other particulars relating to such University.

(ii.) The Chancellor, the first Vice-Chancellor, and the first members of the Governing Council, of the Executive Council and of the Academic Council of each University established after the commencement of this Act, and specified in the Schedule to this Act and all persons who may hereafter become such officers or members thereof are, so long as they continue to hold such office or membership, shall be deemed to have constitute a body corporate by the name of the respective University specified in the Schedule to this Act.

(iii.) The University shall have perpetual succession and a common seal, and may sue and be sued by the said name.

**4.** ***Objectives of the University*—**

(a) The objectives of every University established under this Act shall be to advance, generate and disseminate knowledge, and to promote excellence in its areas of specialization and allied disciplines, and to create an enabling academic and research ecosystem for the generation, preservation, application and dissemination of knowledge for the advancement of society, sustainable development and the welfare of humanity.

(b) to foster a multidisciplinary and interdisciplinary academic ecosystem in alignment with the National Education Policy, 2020;

(c) to adopt and implement the Academic Bank of Credit, National Credit Framework, Multiple Entry and Multiple Exit, Credit Transfer, interdisciplinary and multidisciplinary programmes, and other academic reforms as may be prescribed from time to time.

(d) to promote high-quality research and scientific discovery in frontier and strategically significant areas of knowledge;

(e) to develop human resources for the advancement of society, and sustainable development;

(f) to promote innovation, entrepreneurship, and knowledge transfer through collaboration with academic, research, and industry partners;

(g) to contribute to the intellectual, cultural, and economic development of the State of Bihar and to uphold its rich academic and civilizational legacy;

(h) to fulfil such other special educational, research, developmental or strategic purposes as the State Government may, from time to time, specify.

(i) to address societal and developmental challenges through research, policy engagement, and outreach activities;

(j) to promote inclusivity, equity, and access to higher education, research and Innovation opportunities;

(k) to uphold the values enshrined in the Constitution of India and ensure that the University functions consistently with the sovereignty, unity and integrity of the Nation.

**5.** ***Powers and functions of the University*-**

(1) The powers and functions of the University shall be the following:—

(i) To provide high-quality and advanced instruction in such branches of knowledge and other allied, interdisciplinary and emerging areas, and for such other special purposes as may be determined by the University or the State Government as the case may be, and to create and sustain a robust ecosystem for cutting-edge research, innovation, and the advancement, preservation, and dissemination of knowledge, with a view to addressing national and global challenges and advancing the intellectual and developmental aspirations of the State of Bihar and the Nation;

(ii) to grant, subject to such conditions as the University may determine, diplomas or certificates to, and confer degrees or other academic distinctions on, persons, on the basis of examination, evaluation or any other method of testing, and to withdraw any

such diplomas, certificates, degrees or other academic distinctions for good and sufficient cause;

(iii) to organise and to undertake extramural studies, training and extension services;

(iv) to confer honorary degrees or other distinctions in the manner prescribed by the Statutes;

(v) to establish or constitute such committees, cells and procedures as direction issued by the University Grants Commission or any other statutory or regulatory authority;

(vi) to provide facilities through the Online or distance education system to such persons as it may determine;

(vii) to institute Professorships, Associate Professorships, Assistant Professorships and other teaching or academic positions, required by the University and to appoint persons to such Principalships, Professorships, Associate Professorships, Assistant Professorships or other teaching or academic positions;

(viii) The University may, with the prior approval of the State Government, establish off-campuses, research parks, innovation hubs, incubation centres, advanced scientific laboratories or specialized research centres within the State of Bihar, in accordance with the provisions made thereunder and other applicable laws.

(ix) to recognise an institution of higher learning for such purposes as the University may determine and to withdraw such recognition;

(x) to co-operate or collaborate or associate with any other University or authority or institution of higher learning, including those located outside the country, in such manner and for such purposes as the University may determine;

(xi) to establish such centers and specialised laboratories or other units for research and instruction as are, in the opinion of the University, necessary for the furtherance of its objects;

(xii) to publish journals, books, monographs, research papers, technical reports, patents, scientific databases and such other publications as may be necessary for dissemination of knowledge.

(xiii) to institute and award fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;

(xiv) to establish and maintain Institutions, Halls and Hostels;

(xv) to make provision for research and advisory services and for that purpose to enter into such arrangements with other institutions, industrial or other organisations, as the University may deem necessary;

(xvi) to organise and conduct refresher courses, workshops, seminars and other programmes for teachers, evaluators and other academic staff;

(xvii) to appoint on contract or otherwise visiting Professors, Emeritus Professors, Professor of Practice, Consultants and such other persons who may contribute to the advancement of the objects of the University as per provision of the Statutes;

(xviii) to determine standards of admission to the University, which may include examination, evaluation or any other method of assessment;

(xix) to introduce semester system, continuous evaluation and Choice-Based Credit System and the University shall enter into agreements with other Universities and academic institutions for credit transfer and joint degree programmes;

(xx) to introduce innovative courses and programmes of studies with a provision for periodic review and restructuring;

(xxi) to ensure active participation of students in all academic activities of the University, including evaluation of teachers;

(xxii) to obtain accreditation from the National Assessment and Accreditation Council or any other accrediting agency at the national level;

(xxiii) to receive grants, endowments, donations, gifts, benefactions, bequests, subscriptions, research funding and financial assistance from the Central Government, State Government, University Grants Commission, industries, philanthropic organizations, national and international funding agencies and other lawful sources;

(xxiv) ensure efficient digital governance through paperless administration, digital evaluation, online academic services, e-office systems, learning management platforms, and the development of digital libraries and research data repositories; and

(xxv) to introduce e-governance with an effective Management Information System.

(2) Notwithstanding anything mentioned in the Act, the University shall require prior permission of the State Government before admitting any institution or before creation of any posts or establishment of any new Departments or Chair, before starting any new academic programmes requiring appointment of additional teachers, non-teachers and permanent infrastructure.

**6.** ***University open to all irrespective of sex, race, creed, class, caste, place of birth, religion, or opinion-***

(1) No citizen of India shall be excluded from any office of the University or from membership of any of its authorities, bodies or committees, or from appointment to any post, or from admission to any degree, diploma, certificate or other academic distinctions or programmes or course of study on the grounds only of sex, race, creed, class, caste,

place of birth, religious belief or profession or political or other opinion:

Provided that, the University may maintain, accredit or recognize any college or institution exclusively for women, or reserved for women.

(2) The University shall adopt the Government policy and orders, issued from time to time by the State Government, in regard to the reservations, for various categories, with respect to appointment on different posts of teachers and non-teaching employees and for the purpose of admission of students in Colleges, University departments, University institutions or recognized institutions.

(3) The University shall adopt and implement the policies and directives of the State Government relating to the welfare, inclusion, protection and advancement of weaker sections of society, minorities, women, persons with disabilities, senior citizens, transgender persons, and persons of diverse gender identities and sexual orientations, as may be issued from time to time.

**7. *The Chancellor***

(1) The Chief Minister of Bihar, by virtue of his office, shall be the Chancellor of every University specified in the Schedule.

(2) The Chancellor, when present, shall preside over the Convocation of the University and may issue directions to the Vice-Chancellor to convene the meeting of any authority of the University for specific purposes, whenever necessary, and the Vice-Chancellor shall submit the minutes of such meeting to the Chancellor for his perusal.

(3) The Chancellor,—

(a) shall, on receiving a reference from the State Government under the proviso to Sub-Section (6) of section 29 in such matter; or

(b) may, in any matter *suo motu* or otherwise,

call for a report or an explanation or such information and record relating to such matter or any matter or affairs of the University, and shall, after considering such report or explanation, or information or record, issue such directions thereupon as may be deemed fit in the interest of the University or students or in the larger interest of the public, and his directions shall be final and shall be complied with by the University forthwith.

(4) The Chancellor may, after taking report in writing from the Vice-Chancellor, cancel or suspend or modify any resolution, order or proceeding of any authority, body, committee or officer which, in his opinion, is not in conformity with this Act, Statutes, Ordinances or Regulations made thereunder, or is not in the interest of the University and the University, authority, body, committee and officer, shall comply with the same:

Provided that, before making any such order, the Chancellor shall call upon the University, authority, body, committee or, as the case may be,

officer to show cause why such an order should not be made, and if any cause is shown, within the time fixed by the Chancellor, the Chancellor shall consider the same and wherever the Chancellor deems it necessary, after consulting the State Government, decide the action to be taken in the matter, and his decision shall be final.

(5) Where, in the opinion of the Chancellor, the conduct of any elected or nominated or appointed or co-opted member is detrimental to the smooth functioning of the University or any authority or body or committee, he may, after giving such member an opportunity to offer his explanation in writing and after considering such explanation, if any, and satisfying himself that it is necessary so to do, disqualify such member or suspend him for such period, as he may deem fit or to instruct to carry out disciplinary proceedings against the person as per the Statutes.

(6) Where power is conferred upon him by this Act or the Statutes to nominate persons to authorities and bodies of the University, the Chancellor shall, to the extent necessary and without prejudice to such power, nominate persons to represent such interests not otherwise represented.

(7) In case of differences amongst the authorities or officers of the University on any matter which cannot be otherwise resolved the decision of the Chancellor shall be final;

(8) The Chancellor shall have the power to issue direction to the Universities and Colleges in the administrative or academic interest of the Universities and Colleges which he considers to be necessary. The direction issued by the Chancellor shall be implemented by the Vice-Chancellor, Principal Governing Council , Executive Council and other bodies of the Universities as the case may be.

(9) The Chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred upon or vested in him by or under this Act or as prescribed by the Statutes.

**8.** ***Officers of the University*** – *The following shall be the officers of the University, namely:-*

(1) the Vice-Chancellor,
(2) the Deans, Faculty
(3) the Registrar,
(4) the Finance Officer,
(5) the Dean, Student’s Welfare,
(6) the Dean, Research and Development,
(7) the Controller of Examination,
(8) the Librarian
(9) Such other officers as may be declared by the Statutes to be the officers of the University.

**9.** ***The Vice-Chancellor—***

(1) The Vice-Chancellor shall be an eminent academic, distinguished scientist, or educationist of national or international repute, possessing proven academic and administrative leadership, outstanding contributions to teaching, research, and innovation, and having significant experience in the relevant areas of specialization of the University or in allied and interdisciplinary fields.

(2) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor from out of a panel of not less than three persons recommended (the names being arranged in the alphabetical order) by a Screening Committee constituted under Sub-Section (3); Provided that if the Chancellor does not approve of any of the persons so recommended, he may call for the fresh recommendations;

(3) The Screening Committee referred to in Sub-Section (2) shall consist of four members namely:—One Member nominated by the Chancellor, one member nominated by the State Government, One member nominated by the Chairman, University Grants Commission as per the regulation of UGC subject to the amendment(s) applicable and one by Executive Council, and the member nominated by the Government shall be convener of the committee; Provided that the members nominated on the committee shall be persons who are not connected in any manner with the University concerned or any college or any recognized institution of that University;

(4) The First Vice-Chancellor shall be appointed by the Government.

(5) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of three years from the date on which he enters upon his office;

Provided that the Chancellor may, on being satisfied with the performance of the Vice-Chancellor during the first term, require the Vice-Chancellor to continue in office for a further period, as may be specified by the Chancellor, so, however, that such further period shall not exceed three years.

Provided that the maximum age limit for continuance upon the office of the Vice-Chancellor will be seventy-five years;

(6) The emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be as prescribed by Statutes;

(7) If the office of the Vice-Chancellor becomes vacant due to death, resignation or otherwise or if he is unable to perform his duties due to ill health or any other cause, the Chancellor shall have the authority to designate any eminent person to perform the functions of the Vice-Chancellor until the new Vice-Chancellor assumes his office or until the existing Vice-Chancellor attends to the duties of his office, as the case may be.

**10.** ***Powers, duties and functions of the Vice-Chancellor—***

(1) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall exercise general supervision and control over the affairs of the University and give effect to the decisions of the authorities of the University.

(2) The Vice-Chancellor may, if he/she is of the opinion that urgent or important action is necessary on any matter, exercise any power conferred on any authority of the University by or under this Act and shall report the action to the authority concerned at its next meeting the action taken by him on such matter;

Provided that such exercise of power shall be made only in emergent situations and in no case in respect of creation, and upgradation of posts and appointments thereto;

Provided further that if the Governing Council is of the opinion that such action ought not to have been taken, it may refer the matter to the Chancellor whose decision thereon shall be final;

Provided also that if any person in the service of the University who is aggrieved by the actions taken by the Vice- Chancellor under this Sub-Section shall have the right to appeal against such action to the Governing Council within three months from the date on which decision on such action is communicated to him and thereupon the Governing Council may confirm, modify or reverse the action taken by the Vice-Chancellor.

(3) The Vice-Chancellor, if he is of the opinion that any decision of any authority of the University is beyond the powers of the authority conferred by the provisions of this Act, the statutes, the Regulations or that, any decision taken is not in the interest of the University, may ask the authority concerned to review its decision within thirty days of such decision and if the authority refuses to review the decision either in whole or in part or no decision is taken by it within the said period of thirty days, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision on the matter shall be final.

(4) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed by the Statutes or the Regulations.

(5) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Executive Council, Finance Committee, and the Academic Council of the University.

(6) The Vice-Chancellor shall, in the absence of the Chancellor, preside at any convocation of the University and shall preside at the meeting of the Governing Council.

**11.** ***Removal of the Vice-Chancellor—***

(1) If at any time and after such enquiry as may be considered necessary, it appears to the Chancellor that the Vice-Chancellor: -

(i) has failed to discharge any duty imposed upon him, by or under this Act, the Rules; and Statutes, or

(ii) has acted in a manner prejudicial to the interests of the University, or

(iii) has been incapable of managing the affairs of the University. The Chancellor may, notwithstanding the fact that the term of office of the Vice-Chancellor has not expired, require the Vice-Chancellor, by an order in writing stating the reasons thereof to resign his post from the date as may be specified in the order.

(2) No order under Sub-Section-1 shall be passed unless a notice stating the specific grounds on which such action is proposed has been served and a reasonable opportunity to show cause against the proposed order has been given to the Vice-Chancellor.

(3) On and from the date specified in Sub-Section-1, it shall be deemed that Vice-Chancellor has resigned his post and office of the Vice-Chancellor shall be deemed vacant.

**12.** **The *Dean of Faculty*—**Every Dean shall be appointed in such manner, and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes.

**13.** ***The Registrar—***

(1) The Registrar shall be appointed in such manner, on such terms and other conditions of service as may be prescribed by the Statutes. However, the first Registrar of the University shall be appointed by the State Government and shall hold office for a term of three years or till the appointment of the Registrar as prescribed by the Statutes or the Rules, whichever is earlier;

(2) The Registrar shall have the power to enter into agreements, sign documents and authenticate records on behalf of the University and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes.

**14.** ***The Finance Officer—***The Finance Officer shall be appointed in such manner and on such terms and conditions of service, and shall exercise such powers and perform such duties, as may be prescribed by the Statutes. However, the first Finance Officer of the University shall be appointed by the Government and shall hold office for a term of three years or till the appointment of the Finance Officer as prescribed by the Statutes or Rules, whichever is earlier;

**15.** ***The Dean Student Welfare—*** The Dean student welfare shall be appointed in such manner, and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the regulation or rules.

**16.** ***The Controller of Examination (CoE)*****—**The Controller of Examination shall be appointed in such manner and on such terms and conditions of service, and shall exercise such powers and perform such duties, as may be prescribed by the Statutes. However, the first Controller of Examination shall be appointed by the Government and shall hold office for a term of three years or till the appointment of the Controller of Examination, as prescribed by the Statutes, whichever is earlier.

**17.** ***Dean, Research and Development -***

(i.) The Dean of Research and Development (R&D) shall be appointed by the Vice- Chancellor for a period of three years from amongst the University Professors or Associate Professor in such manner as prescribed in the Statutes.

(ii.) The Dean of R&D shall create awareness about research, innovation, incubation, startups and development among faculty and students. The Dean of Research and Development shall coordinate with other faculties to ensure high standards in Ph.D programmes and research publications. This involves organizing workshops and seminars on research methodologies, facilitating interdisciplinary collaboration, promoting research activities, and maintaining quality assurance for academic excellence.

(iii.) The Dean of R&D shall act as a liaison between researchers and relevant funding agencies.

(iv.) The Dean of R&D shall establish, maintain and strengthen links of the University with premier national and international universities and institutions.

(v.) The duties, powers and functions of the Dean of Research and Development shall be prescribed by the Statutes.

**18.** ***Other Officers*****—**The manner of appointment and powers and duties of other officers of the University shall be prescribed by the Statutes.

**19.** ***Authorities of the University*****—***The following shall be the authorities of the University:-*

(1) The Governing Council;
(2) The Executive Council;
(3) The Academic Council;
(4) The Research Council;
(5) The Board of Studies;
(6) The Board of Affiliation
(7) The Board of Planning;
(8) The Finance Committee; and
(9) such other authorities as may be declared by the Statutes to be the Authority of the University.

**20.** ***Governing Council—***

(1) The Governing Council shall be the apex Body of the University.

(2) There shall be a Governing Council of the University consisting of the following members, namely:

(a) Chancellor of the University – Chairperson

(b) Minister, Higher Education Department;

(c) Vice-Chancellor of the University;

(d) Chief Secretary, Government of Bihar;

(e) One Vice-Chancellor from among the State Universities to be nominated by the State Government;

(f) Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary of Higher Education Department;

(g) Additional chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary Department of Finance;

(h) Additional chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary Dept. of Science, Technology and Technical Education, Bihar ;

(i) Director, Higher Education Department

(j) Two Directors from leading national institutions of higher learning, research or management, such as Institutions of National Importance or such other reputed institutions of Bihar relevant to the area of specialization of the University, nominated by the Chancellor;

(k) One representatives of the University Grants Commission to be nominated by the Chairman of the Commission;

(l) Three eminent academicians, scientists, or domain experts of national or international repute, having distinguished contributions in the relevant areas of specialization of the University or in allied and interdisciplinary fields, nominated by the Chancellor, of whom at least one shall be from outside the State of Bihar;

(m) One eminent industrialist, technologist, or domain expert from industry, innovation, public policy, or professional sectors relevant to the specialization of the University, nominated by the Chancellor;

(n) Dean of Research and Development (R&D)

(o) Two Deans of the University, to be nominated by the Vice-Chancellor on rotation for three years from the date of nomination.

(p) One faculty representative not below the rank of Professor to be nominated by the Vice-Chancellor by rotation and seniority from amongst the Professors

(q) One Principal of Affiliated college of the University (in case affiliated to the University)

(r) Dean of the Student's Welfare;

(s) Finance officer of the University

(t) Registrar of the University

(3) The Registrar shall be the ex-officio Member-Secretary to the Governing Council.

(4) Where a person has become a member of the Governing Council by reason of the office or appointment he holds, his membership shall terminate when he ceases to hold that office or appointment;

(5) The term of office of the nominated members of the Governing Council other than the ex officio members shall be three years;

(6) A member of the Governing Council shall cease to be a member if he resigns or becomes of unsound mind, or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude. A member, other than the Vice-Chancellor, Registrar shall also cease to be a member if he accepts a full-time appointment in the University; or if he not being an Ex-Officio member fails to attend three consecutive meetings of the Governing Council without the leave of the Chancellor;

(7) A member of the Governing Council other than an ex-officio member may resign his office by a letter addressed to the Chancellor and such resignation shall take effect as soon as it has been accepted; and

(8) Any vacancy in the Governing Council shall be filled by nomination by the respective nominating authority for the remaining period of the term and on expiry of the period of the vacancy; such nomination shall cease to be effective.

**21.** ***Powers, functions and meetings of the Governing Council—***

(1) The Governing Council shall be the apex Body of the University and shall formulate and review from time to time the broad policies, and programmes of the University and devise measures for the improvement and development of the University and shall also have the following powers and functions namely: -

(i) To consider and pass the annual report, financial statement and the annual budget estimates prepared by the Executive Council and to adopt them with or without modification:

(ii) To make Statutes concerning the administration of the affairs of the University including prescribing the procedures to be followed by the authorities and the officers of the University in the discharge of their functions.

(2) (i) The Governing Council shall meet at least once in a year and annual meeting of the Governing Council shall be held on a date to be fixed by the Chancellor;

(ii) A report of the working of the University during the previous year, together with a statement of receipts and expenditure, the balance sheet as audited, and the financial estimates shall be presented by the Vice-Chancellor to the Governing Council at its annual meetings;

(iii) Meetings of the Governing Council shall be called by the Chancellor either on his own motion or at the requisition of not less than 50% members of the Governing Council;

(iv) For every meeting of the Governing Council, fourteen days' notice shall be given. However, in emergent situation the meeting of the Governing Council may be called by the Chancellor at short notice.

(v) One-third of the members existing on the rolls of the Governing Council shall form the quorum;

(vi) Each member shall have one vote and if there be equality of votes on any question to be determined by the Governing Council, the Chancellor presiding over the meeting shall, in addition, have a casting vote;

(vii) To exercise such other powers and perform other duties as may be conferred or assigned by this Act or the Statutes.

**22.** ***Executive Council—***

(1) The Executive Council shall be the principal executive body of the University.

(2) The Executive Council shall consist of the following persons namely: -

a. Vice-Chancellor of the University – Chairperson

b. Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary of Higher Education Department or his/her representative not below the rank of joint secretary;

c. Additional chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary Department of Finance or his/her representative not below the rank of Joint Secretary;

d. Additional chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary Dept. of Science, Technology and Technical Education, Bihar or his/her representative not below the rank of Joint Secretary;

e. Director, Higher Education Department

f. Two Directors from leading national institutions of higher learning, research or management, such as Institutions of National Importance or such other reputed institutions of Bihar relevant to the area of specialization of the University, nominated by the Chancellor;

g. Two eminent academicians, scientists, or domain experts of national or international repute, having distinguished contributions in the relevant areas of specialization of the University or in allied and interdisciplinary fields, nominated by the Chancellor, of whom at least one shall be from outside the State of Bihar;

h. One eminent industrialist, technologist, or domain expert from industry, innovation, public policy, or professional sectors relevant to the specialization of the University, nominated by the Chancellor;

i. Dean of Research and Development (R&D)

j. One Principal of Affiliated college of the University (in case affiliated to the University)

k. Two Deans of the University, to be nominated by the Vice-Chancellor on rotation for three years from the date of nomination.

l. Three faculty representative not below the rank of Professor to be nominated by the Vice-Chancellor by rotation and seniority from amongst the Professors
m. Dean of the Student's Welfare;
n. Finance officer of the University
o. Controller of Examination of the University
p. Registrar of the University- member secretary

(3) (i) Where a person has become a member of the Executive Council by reason of the office or appointment he holds, his membership shall terminate when he ceases to hold that office or appointment;

(ii) The term of office of the nominated members of the Executive Council other than ex officio members shall be three years;

(iii) A member of the Executive Council shall cease to be a member, if he resigns or becomes unsound mind or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude. A member other than the Vice-Chancellor and the Registrar shall also cease to be a member if he accepts a full time appointment in the University;

(iv) A member of the Executive Council other than an ex-officio member may resign his office by a letter addressed to the Vice-Chancellor and such resignation shall take effect as soon as it has been accepted by him;

(v) Any vacancy in the Executive Council shall be filled by nomination by the respective nominating authority for the remaining period of the term and on expiry of the period of the vacancy, such nomination shall cease to be effective.

(4) ***Powers, Functions and Meetings of the Executive Council***

I. The Executive Council shall be the Chief Executive Authority of the University and as such shall have all powers necessary to administer the University subject to the provisions of this Act and the Statutes; made there under, and may make Regulations with approval of Governing Council for that purpose and also with respect to matters provided hereunder.

II. The Executive Council shall have the following powers and functions:

(i) To prepare and present the following to the Governing Council at its annual meetings:
(a) A report on the working of the University;
(b) A statement of accounts;
(c) Budget proposals for the ensuing academic year; and
(d) Any other matter of importance that for to be presented;

(ii) To manage and regulate the finances, accounts, investments, properties, business and all other administrative affairs of the University and for that purpose, constitute committees and delegate the powers to such committees or such officers of the University as it may deem fit;

(iii) To provide buildings, premises, furniture and apparatus and other means needed for carrying on the work of the University;

(iv) To present important notification, reports and Policy matters before Governing Council.

(v) To entertain, adjudicate upon, and if it thinks fit, to redress any grievances of the students and the employees of the University;

(vi) To create administrative, ministerial and other necessary posts, to determine the number and emoluments of such posts, to specify the minimum qualifications for appointment to such posts on such terms and conditions of service as may be prescribed by the Statutes and Regulations made in this behalf with concurrence of the state govt.

(vii) To appoint examiners and moderators, and if necessary to remove them and to fix their fees, emoluments and travelling and other allowances, after consulting the Academic Council;

(viii) To select a common seal for the University; and

(ix) To exercise such other powers and to perform such other duties as may be considered necessary; or imposed on it by or under this Act, or Statutes.

III. (i) The Executive Council shall meet at least once in four months and not less than fourteen days' notice shall be given of such meetings;

(ii) The meeting of the Executive Council shall be called by the Registrar under instructions of the Vice-Chancellor or at the request of not less than three members of the Executive Council;

(iii) Registrar of the University shall act as ex-officio Member-Secretary to the Executive Council

(iv) One half of members of the Executive Council shall form the quorum at any meeting;

(v) In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority shall prevail;

(vi) Each member of the Executive Council shall have one vote and if there be equality of votes on any question to be determined by the Executive Council, the Chairperson of the Executive Council or as the case may be, the member presiding over that meeting shall, in addition, have a casting vote;

(vii) Every meeting of the Executive Council shall be presided over by the Vice-Chancellor and in his absence by a member authorized by the Vice-Chancellor.

(viii) If urgent action by the Executive Council becomes necessary, the Vice-Chancellor may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the Executive Council. The decisions so taken shall not be valid unless agreed to by a majority of members of the Executive Council. Such decisions shall be forthwith intimated to all

the members of the Executive Council. In case the Executive Council fails to take decision, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision shall be final.

**23.** ***Academic Council.—***

(1) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act, the Statutes, Regulation and the Ordinances, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University.

(2) The Academic Council shall consist of the following persons, namely:

a. Vice-Chancellor of the University – Chairperson
b. Two Directors or his/her representative not below the rank of professor from leading national institutions of higher learning, research or management, such as Institutions of National Importance or such other reputed institutions of Bihar relevant to the area of specialization of the University, nominated by the Chancellor;
c. One eminent academicians, scientists, or domain experts of national or international repute, having distinguished contributions in the relevant areas of specialization of the University or in allied and interdisciplinary fields, nominated by the Chancellor;
d. Dean of Research and Development (R&D)
e. Two Principal of Affiliated college of the University (in case affiliated to the University)
f. All Deans of the University
g. all Heads of University Departments
h. Four faculty representative not below the rank of Professor to be nominated by the Vice-Chancellor by rotation and seniority from amongst the Professors
i. Finance officer of the University
j. Controller of Examination of the University
k. Registrar of the University- member secretary

(3) Powers, Functions and Meeting of the Academic Council.—Subject to the provisions of the Act, Statutes and Regulations and overall supervision of the Executive Council, the Academic Council shall manage the academic affairs and matters in the University and in particular shall exercise and perform the following powers and functions namely:

(i) to report on any matter referred or delegated to it by the Governing Council or the Executive Council;
(ii) to make recommendations to the Executive Council with regard to the creation, abolition or classification of posts in the University and the emoluments payable and the duties attached thereto;
(iii) exercise supervision and control over the conduct of teaching in the colleges in such manner as may be prescribed by the Statutes;
(iv) to advise the Executive Council on academic policies and recommend measures for the implementation of the Academic Bank of Credits (ABC), National Credit Framework (NCrF), Multiple Entry and Multiple Exit, Credit Transfer, interdisciplinary and multidisciplinary programmes, and other

academic reforms in accordance with the Regulations, Guidelines and Standards issued from time to time by the University Grants Commission or any other statutory or regulatory authority.

(v) to formulate and modify or revise schemes for the organization of the faculties, and to assign to such faculties their respective subjects and also to report to the Executive Council as to the expediency of the abolition or sub-division of any faculty or the combination of one faculty with another;

(vi) to promote research under the University and to require from time to time, reports on such research;

(vii) to propose draft of Ordinances relating to the academic matter to the Executive Council

(viii) to consider proposals submitted by the faculties;

(ix) to recommend recognition of degrees of other Universities and institutions and to determine their equivalence in relation to the certificates, diplomas and degrees of the University;

(x) to fix subject to any conditions accepted by the Governing Council, the time, mode and conditions of competition for Fellowships, Scholarships and other prizes and to recommend for the award of the same;

(xi) to make recommendations to the Executive Council in regard to the appointment of examiners and if necessary, their removal and fixation of their fees, emoluments and travelling and other expenses;

(xii) to recommend arrangements for the conduct of examinations and the date for holding them;

(xiii) to declare or review the result of the various examinations or to appoint committees or officers to do so, and to make recommendations regarding the conferment or grant of degrees, honors, licenses, titles and marks of honors;

(xiv) to recommend stipends, scholarships, medals and prizes and to make other awards in accordance with the regulations and such other conditions as may be attached to the awards;

(xv) to approve or revise lists of prescribed or recommended text books and to publish the same and to approve syllabus and courses of study;

(xvi) to approve such forms and registers as are from time to time, required by the Regulations; and

(xvii) to perform, in relation to academic matters, all such duties and to do all such acts as may be necessary for the proper carrying out of the provisions of this Act, the Statutes and the Regulations made there under.

(4) (i) The Academic Council shall meet as often as may be necessary, but not less than two times during an academic year;

(a) One half of the existing members of the Academic Council shall form the quorum for a meeting of the Academic Council;

(b) In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority shall prevail;

(c) Each member of the Academic Council, including the Chairperson of the Academic Council, shall have one vote and if there be an equality of votes on any question to be determined by the Academic Council, the Chairperson of the Academic Council, or as the case may be, the member presiding over the meetings, shall in addition, have a casting vote;

(d) Every meeting of the Academic Council shall be presided over by the Vice-Chancellor and in his absence by a member chosen in the meeting to preside on the occasion;

(e) If urgent action by the Academic Council becomes necessary, the Chairperson of the Academic Council may permit the business to be transacted by the circulation of papers to the members of the Academic Council. The decision taken shall not be valid unless agreed to, by a majority of the members of the Academic Council. The decision so taken shall forthwith be intimated to all the members of the Academic Council. In case the Academic Council fails to take decision, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision shall be final.

**24.** ***The Board of Studies.***— The constitutions, power and functions of the Board of Studies shall be prescribed by the Statutes.

**25.** ***The Board of Affiliation.***— The Board of Affiliation shall be responsible for affiliating colleges and institutions to the University. The constitution of the Board of Affiliation, the term of office of its members and its functions shall be prescribed by the Statutes.

**26.** ***Board of Planning.***— The Board of planning shall be responsible for preparing plans of growth and development, long term and short terms perspective plan of the University to achieve its objective. The constitutions, power, term of office of its members and functions of the Board of Planning shall be prescribed by the Statutes.

**27.** **Research *Council.***—The constitution, powers, the term of its members and functions of the Research Council shall be prescribed by the Statutes.

**28.** **The *Finance Committee.***— The constitution, powers and functions of the Finance Committee shall be prescribed by the Statutes.

**29.** ***Jurisdiction of the State Government.***—

(1) Without prior approval of the State Government, the University shall not,—

(a) create new posts of teachers, officers or any other kind of employees;

(b) revise the pay, allowances, post-retirement benefits and other benefits of its teachers, officers and other employees;

(c) grant any special pay, allowance or other extra remuneration of any description whatsoever, including ex-gratia payment or other benefits having financial implications, to any of its teachers, officers or other employees;

(d) divert any earmarked funds received for any purpose other than that for which it was received;

(e) transfer by sale or lease of immovable property;

(f) incur expenditure on any development work from the funds received from the State Government or University Grants

Commission or any person or body for the purposes other than the purposes for which the funds are received;

(2) The University shall be competent to incur expenditure, in consonance with the policies and directives of the State Government issued from time to time, from the funds received from,—

- various funding agencies without any share or contribution from the State Government;
- contributions received from individuals, industries, institutions, organizations or any person whosoever, to further the objectives of the University;
- contributions or fees for academic or other services offered by the University for aided and self-supporting academic programmes;
- development fund, or any other fund established by the University; for the purposes of,—

(i.) starting any academic programmes on self-supporting basis;

(ii.) granting remunerations or incentives to its employees for performing any task assigned to them other than their regular duties and responsibilities;

(iii.) incurring expenditure on any development work and on welfare activities of its students and employees: Provided that, there is no financial liability, direct or indirect, immediate or in future, on the State Government.

(iv.) Notwithstanding anything contained in this Act, all matters relating to financial expenditure, drawal and disbursement of State Government funds, treasury operations, accounts and audit of the University shall be governed by the Bihar Financial Rules, the Bihar Treasury Code and the instructions, circulars, guidelines and directions issued by the Finance Department, Government of Bihar, from time to time

(3) The State Government may, in accordance with the provisions contained in this Act, for the purpose of securing and maintaining uniform standards in all universities in the State, by notification in the Official Gazette, prescribe a Standard Code providing for the classification, manner and mode of selection, appointment, induction and advance training, field exposure, deputation and reservation of posts as per State Government norms.

(4) Qualifications and other purpose of appointment of teaching and non-teaching employees in the universities shall be as may be specified by the Government, by an order published in the Official Gazette.

(5) The State Government through any officer not below the rank of Deputy Secretary or equivalent shall have the right to cause inspection of the University or its institution or University department.

(6) In case of failure of the University to exercise powers or perform duties specified in section 5, or where the University has not exercised such powers or performed such duties adequately, or where there has been a failure to comply with any order issued by the State Government, or under any other circumstances as the State Government may deem fit, the State Government may issue a directive to the University for proper exercise of

such powers or performance of such duties or compliance with the order; and it shall be the duty of the University to comply with such direction. In case the University fails to comply with the directives, the State Government may refer the matter to the Chancellor for taking necessary action under Sub-Section (3) of section 7.

**30.** ***Rules.***— the State Government may, by notification, make rules, for any matters for carrying out the provisions of this Act.

**31.** ***Powers to make Statutes.***—Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely:

(a) the constitution, powers and functions of authorities and other bodies of the University, as may be constituted from time to time;

(b) the appointment and continuance in office of the members of the said authorities and bodies, the filling up of vacancies of members, and all other matters relating to those authorities and other bodies for which it may be necessary or desirable to provide;

(c) the appointment, powers and duties of the officers of the University and their emoluments;

(d) the appointment of teachers, academic staff and other employees of the University, their emoluments and conditions of service;

(e) the appointment of teachers and academic staff working in any other University or organisation for a specific period for undertaking a joint project;

(f) the conditions of service of employees including provisions for pension, insurance, provident fund, the manner of termination of service and disciplinary action;

(g) the principles governing the seniority of service of the employees of the University;

(h) the procedure for arbitration in cases of dispute between employees or students and the University;

(i) the procedure for appeal to the Executive Council by any employee or student against the action of any officer or authority of the University;

(j) The extent of the autonomy which a college or an institute declared as an autonomous colleges or institution may be exercised;

(k) the conferment of honorary degrees;

(l) the management of Colleges and institutions affiliated to the University

(m) the withdrawal of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions;

(n) the delegation of powers vested in the authorities or officers of the University;

(o) the maintenance of discipline among the employees and students; and

(p) all other matters which by this Act are to be, or may be, provided by the Statutes or Rules.

**32.** ***A Statutes, how to be made.***—

(1) The First Statutes shall be made by the Government on the recommendation of the Governing Council.

(2) The Governing Council may, either on its own motion or on submission by the Executive Council, may, from time to time, make new or additional Statutes or may amend or repeal the Statutes referred to in Sub-Section (1):

Provided that the Governing Council shall not make, amend or repeal any Statute affecting the status, powers or constitution of any authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing its opinion in writing on the proposed change, and any opinion so expressed shall be considered by the Governing Council.

(3) Where the Governing Council has passed the draft of any Statute it shall be submitted to the Chancellor who shall declare that he assents thereto as passed by the Governing Council or with such amendments as he deems proper:

Provided that if there be any financial implication which may arise under the statute, it shall not be enforceable unless prior approval of the State Government has been obtained.

(4) Notwithstanding anything contained in the above clause, if at any time, the Chancellor is satisfied that it is necessary to frame Statute on any subject of common interest, after obtaining the advice of the Committee constituted by the Chancellor, shall send the Draft Statute to Vice-Chancellors and Bihar State Higher Education Council (BSHEC) for opinion, who shall send their opinion within ten days or such period as the Chancellor may determine, from the receipt of draft. The Chancellor shall give assent to the Statute with such amendment as he suo motu or in the light of the opinions so received, deems necessary. The Statute shall be deemed to come into force in the Universities from the date of assent:

Provided that the State Government may also suggest the Chancellor to frame Statutes of any subject of common interest of the Universities.

**33.** ***Ordinance and their subject matter. —***

(*1*) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:–

(a) the admission of students to the University and their enrolment as such;

(b) the courses of study to be laid down for all degrees, diplomas and certificates of the University;

(c) the medium of instruction and examination;

(d) the award of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions, the qualifications for the same and the means to be taken relating to the granting and obtaining of the same;

(e) the fees to be charged for courses of study in the University and for admission to examinations, degrees and diplomas to the University;

(f) the conditions for award of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;

(g) the conduct of examination, including the term of office and manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;

(h) the conditions of residence of the students of the University;

(i) the special arrangements, if any, which may be made for the residence and teaching of women students and the prescribing of special courses of study for them;

(j) the establishment of Centres of Studies, Boards of Studies,

Specialised Laboratories and such other Committees;

(k) the manner of co-operation and collaboration with other Universities, Institutions and other agencies including learned bodies or associations;

(l) the creation, composition and functions of any other body which is considered necessary for improving the academic life of the University;

(m) the institution of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;

(n) the setting up of machinery for redressal of grievances of employees and students; and

(o) all other matters which by this Act, or, the Statutes, are to be, or, may be, provided for by the Ordinances.

**34.** ***Ordinances, how made.-***

(1) An Ordinance made by the Executive Council under section 33 shall be submitted as soon as may be to the Governing Council, and there-upon it shall be the duty of the Governing Council to consider the Ordinance at its next meeting and the Governing Council may by resolution passed by a majority of the members present and voting at such meeting, either reject the Ordinance or approve it with such modifications, if any, and from such date, as it may direct.

Provided that if there be any financial implication which may arise under the Ordinance, it shall not be enforceable unless prior approval of the State Government has been obtained.

(2) The First Ordinance shall be made by the Vice-Chancellor with the previous approval of the Governing Council and the Ordinance so made may also be amended, repealed or added to at any time by the Executive Council in the manner prescribed by the Statutes.

**35.** ***Regulations.—*** The Authorities of the University may make Regulations consistent with this Act and the Statutes, in the manner prescribed by the Statutes for the conduct of their own business and that of the committees, if any, appointed by them and not provided for by this Act, the Statutes and for such matters as may be prescribed by the Statutes, provided that if there be any financial implication which may arise under the regulation, it shall not be enforceable unless prior approval of the State Government has been obtained.

**36.** ***Annual Report.—***

(1) The annual report of the University shall be prepared under the directions of the Executive Council, which shall include, among other matters, the steps taken by the University towards the fulfilment of its objectives and shall be submitted to the Governing Council on or before such date as may be prescribed by the Statutes and the Governing Council shall consider it in its annual meeting.

(2) The Governing Council shall submit the Annual Report to the Chancellor along with its comments, if any.

(3) A copy of the annual report, as prepared under Sub-Section (1), shall also be submitted to the Higher Education Department, Government of Bihar.

**37.** ***University Fund.—***

(1) The University shall have a general fund to which the following shall be credited:

(i) Its income from fees, grants, donations, gifts and other income received by the University from its academic, research, consultancy, and other activities, if any from all sources;

(ii) Any grants, contributions, or assistance received from the State Government, the Central Government, or any other governmental or non-governmental agency, including national or international organizations, statutory bodies, or funding agencies;

(iii) any income derived from investments, properties, or other assets of the University, endowments and other receipts.

(2) The University may have such other funds as may be prescribed by the Statutes.

(3) The funds and all moneys of the University shall be managed in such a manner as may be prescribed by the Statutes.

(4) The Government may, every year, provide grant-in-aid to facilitate and promote studies and research and for carrying out the objectives of the University.

**38.** **Accounts *and Audit.*** —

(1) The annual accounts and the balance sheet of the University shall be prepared under the direction of the Executive Council and shall once at least every year, and at intervals of not more than fifteen months, be audited by the Comptroller and Auditor General of India or by such person or persons as he may authorize on his behalf.

(2) A copy of the annual accounts together with the audit report thereon shall be submitted to the Governing Council and the Chancellor along with the observations, if any, of the Executive Council.

(3) Any observation made by the Chancellor on the annual accounts shall be brought to the notice of the Governing Council and the observations of the Governing Council, if any, shall, after being considered by the Governing Council, be submitted to the Chancellor.

(4) A copy of the annual accounts together with the audit report, as submitted to the Chancellor, shall also be submitted to the Higher Education Department, Government of Bihar.

**39.** ***Furnishing of Returns.*** —The University shall furnish to the State Government such returns or other information with respect to its property or activities as the State Government may, from time to time, require.

**40.** ***Conditions of service of employees.—*** All matters relating to the service conditions of teachers and other employees of the University, including appointment, probation, confirmation, promotion, seniority, disciplinary control, removal, termination, pay bands/pay scales, and retirement benefits, shall be as specified by the Statutes or the Rules.

**41.** ***Constitution of University Review Commission. —***

(1) Chancellor, on his own motion or on request from the Government of Bihar, shall at least once in every five years, constitute a commission to review the working of the University and to make recommendations.

(2) The Commission shall be constituted consisting of not less than three persons consisting of eminent educationists, administration experts, finance experts etc, one of whom shall be the Chairperson of such

Commission appointed by the Chancellor in consultation with the Government.

(3) The terms and conditions of the appointment of the members shall be such as the Chancellor may determine.

(4) The Commission shall after holding such enquiry as it deems fit, make its recommendations to the Chancellor with a copy to the State Government.

(5) The Chancellor may take such action on the recommendations as he deems fit in consultation with the Government.

**42.** ***Right to appeal.***—Every employee or student, related to the University, shall notwithstanding anything contained in this Act, have a right to appeal within such time as may be prescribed by the Statutes, to the Governing Council against the decision of any officer or authority of the University, and thereupon the Governing Council may confirm, modify or reverse the decision appealed against.

**43.** ***Provident and pension funds.***—The University shall constitute for the benefit of its employee such provident fund or pension fund or provide such insurance schemes as it may deem fit in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by the Statutes in consultation with the Government.

**44.** ***Disputes as to constitution of University authorities and Bodies.***— If any question arises as to whether any person has been duly elected or appointed as, or is entitled to be, a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the Governing Council whose decision thereon shall be final.

**45.** ***Filling of casual vacancies.***—All the casual vacancies among the members, other than ex-officio members, of any authority or other body of the University shall be filled, as soon as may be, by the person or body who appoints; elects or co-opts the members whose place has become vacant and any person appointed, elected or co-opted to a casual, vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been a member.

**46.** ***Proceedings of the University authorities or bodies not invalidated by vacancies.***—No Act or proceeding of any authority or other body of the University shall be invalidated merely by reason of the existence of any vacancy among its members.

**47.** ***Protection of action taken in good faith.***—No suit or other legal proceeding shall lie against any officer or other employee or against any authority of the University for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any of the provisions of this Act, the Statutes or the rules or the Ordinances or the Regulation.

**48.** ***Mode of proof of University record.***—Notwithstanding anything contained in the Indian Evidence Act, 1872 or in any other law for the time being in force, a copy of any receipt, application, notice, order, proceedings or resolution of any authority or other body of the University, or any other document in possession of the University, or any entry in any register duly maintained by the University, if certified by the Registrar so designated shall be received as prima facie evidence of such receipt, application, notice, order, proceeding, resolution or document or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transactions therein, where the original thereof would, if produced, have been admissible in evidence.

**49.** ***Transitional* Provisions.**—Notwithstanding anything contained in this Act, the Statutes or the Regulation, where any constituent college, affiliated college or institution is transferred to, affiliated with, or brought under the jurisdiction of a University established under this Act, every student enrolled in such college or institution immediately before the effective date of such transfer, affiliation or change of jurisdiction shall be entitled to continue and complete his or her course of study, and the University shall make such arrangements, for such period and in such manner as may be prescribed, for instruction, teaching, training, examination and the conferment of the appropriate degree or other academic distinctions.

**50.** ***Power to remove difficulties.***—If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty; Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of three years from the commencement of this Act;

*Provided further that every order made under this section shall be laid, as soon as it is made, before each house of the Legislature*

**SCHEDULE**

*[See sections 3(1)]*

| Sl. No. | Name of the University | Headquarter | Purpose / Specialization |
|---|---|---|---|
| 1. | | | |

**BALRAM DUBEY,**
***Secretary to the Government.***

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 932-571+400-डी0टी0पी0।
**Website: https://egazette.bihar.gov.in**